सम्पादक
डॉ. हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु. गुफ़रान नदवी
मु. हसन अन्सारी
हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो0 बॉ0 नं0 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 0522–2740406
: 0522–2741221
E-mail :
nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	रु0 12è-
वार्षिक	रु0 120è-
विशेष वार्षिक	रु0 500è-
विदेशा म (वार्षिक)	30 यूएस डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ, 226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

Visoin Computers- 9838644667

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

जूलाई, 2009 वर्ष 8 अंक 5

शिकायत

नादां हैं जो शिकायतों से चिढ़ते हैं।
हक़ीक़त में शिकायतों से इस्लाह होती है।।
शिकायतें ग़लत की जाएं या सहीह परवाह नहीं।
शिकायतों पर ध्यान देने से इक राह खुलती है।।
जो क़ौम शिकायतों को बुरा मानती है।
सच यह है वह कौम बे राह होती है।।
हम तो शिकायत करने वाले से धन्यवाद कहते हैं।
कि इस से तो आगे बढ़ने की राह खुलती है।।

इदारा

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

शादी विवाह की कुरीतियाँ	डा0 हारून रशीद सिद्दीकी	3
कुर्आन की शिक्षा	मौ0 मु0 मंजूर नोमानी	5
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	7
कारवाने जिन्दगी	मौ0 सैय्यद अबुल हसन अली हसनी	10
जग नायक	मौ0 स0 म0 राबे हसनी	12
ईमान की हकीकत	मौ0 सै0 बि0 अ0 हयी हसनी नदवी	15
हम कैसे पढ़ायें	डॉ सलामत उल्लाह	17
समाज सुधार एक प्रबल चुनौती	मु0 सलमान	18
ए0टी0एम0 से पैसे निकालना आसान	हबीबुल्लाह आज़मी	19
नवाबी अवध	शमीम एक़बाल ख़ाँ	20
इस्लामी विवाह	इदारा	23
आप के प्रश्नों के उत्तर	इदारा	30
सतसंग अपनायें	तसनीम फातिमा	32
सैलानी की डायरी	एम0 हसन अंसारी	34
रिसालत व नुबुव्वत	मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी	36
वर्तमान आर्थिक संक्ट और इस्लामी बैंकिग	हबीबुल्लाह आज़मी	37
हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण	इदारा	39
अतंर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ	40

शादी विवाह की कुरीतियाँ

डा० हारून रशीद सिद्दीकी

एक निकटस्थ मित्र ने अपने बेटे के निकाह में सम्मिलित होने हेतु यह कहते हुए आमंत्रित किया कि न नाच न बाजा, न रिकार्डिंग न और कोई हुल्लड़ आप आएंगें आवश्य। मैंने हाँ भर ली और निर्धारित समय पर पहुंच गया, बताया गया कि कुछ घरों के पश्चात दुल्हन के द्वारे चलना है वहीं निकाह होगा। यह सत्य है कि हम जैसे दस पाँच लोग पलंगों पर बैठे थे, न गानों की आवाज़ थी न ढोल की धम्मक। परन्तु अचानक पर्दे के बिना, कसे वस्त्रों में कैमरे लिये हुए कुछ कुमारियाँ आ धमकीं, बताया गया कि यह दुल्हन की सहेलियाँ हैं जिन से दूल्हा जी की भी मित्राई है। घर के भीतर से भी कुछ युवतियाँ प्रकट हुईं दूल्हे मियाँ भी न्योजित प्रोग्राम के अतंर्गत आ पधारे और वह फोटोग्राफी चली कि शैतान भी लज्जित हो। इस दृष्य को देखने में लोग इतने लीन हुए के मेरे लुप्त होने को जान भी न सके।

मैं एक मस्जिद में इमामत करता था (नमाज़ पढ़ाता था) मुहल्ले के एक सज्जन आए और कहा कि कल मेरे बेटे का निकाह है आपको बरात चलना है और निकाह आप ही को पढ़ाना है। मैंने पूछा नाच बाजा तो नहीं है? बोले, नहीं नहीं, यह सब कुछ नहीं। मुझे गाड़ी से ले गये वहाँ पहुंच कर विचित्र दृष्य दिखा, एक सुन्दर लौन्डा स्त्रियों के वस्त्र में मेकप किये हुए नाचने को तत्पर, ढोलक, बेन और लेजिमें वाले राग छेड़ने को उत्सुक, कि हमारे आतिथ्य कर्ता ने डपट कर कहा ख़बर दार जो बाजा बजा, दुल्हन वालों की ओर से भी कोई साहब डहुंके, ख़बरदार जो बाजा बजा, जैसे मिली भगत हो। जो भी हो, बाजा नहीं बजा मैंने निकाह पढ़ाया, दुआ ख़त्म होते ही, ढोल की थाप सुनाई पड़ी और लौन्डे के मटकने थिरकने के दृष्य में लोग ऐसे संलग्न हुए कि वहाँ से भी मेरे विलोप होने को न जान सके, रात्रि के दस बजे का समय था, मुझे दूसरे दिन बताया गया कि खाने के समय मुझे बहुत ढून्ढा गया, परन्तु मैं तो मुहल्ला ही छोड़ चुका था। दूसरे दिन आमंत्रित करने वाले ने मस्जिद में भेंट कर के अपवाद किया मैंने भी जैसे बना उनको निकाह की इस्लामी विधि समझाई और नाच बाजा की बुराइयाँ स्पष्ट कीं।

एक सम्बन्धी ने कहा भय्या कल पोती का निकाह है, 11 बजे कुछ लोगों के साथ लड़का आएगा कोई शोर हुल्लड़ नहीं है निकाह आप को पढ़ाना है। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं दूसरे दिन पौने ग्यारह बजे उनके द्वारे पहुंच गया, 12 बजे, धम्मक धम्मक, के साथ बरात आती दिखी, घर के लोग कुर्सी तख़्त ठीक ठाक करने में लग गये मैं चुपके से खिसक लिया, पता चला कि बरात के साथ कोई क़ाज़ी जी थे उन ही ने निकाह पढ़ाया।

एक अज़ीज़ की लड़की की मंगनी में लगभग सौ लोग आए, नाच बाजा साथ था मुझे भी बुलाया गया था, यह सब देख कर मैं घर बैठ रहा। मूल्यवान भोज का प्रबन्धन था खा पी कर लोग बैठे निकाह कि तिथि निश्चित हुई, अर्थात दिन धरे गये मान सम्मान के साथ कई हज़ार रुपये देकर मंग्नीहारों को बिदा किया गया। मैंने अपने अज़ीज़ से पूछा आख़िर यह सब क्यों? कहने लगे यह सब न करेंगे तो दूसरी लड़कियों की कहीं से बात भी तो न आएगी।

एक खाते पीते साहिब ने अपनी बहन की शादी में इतना जहेज़ दिया कि दुल्हा के घर वालों ने

जहेज़ का सामान रखने के लिये पड़ोसी से कमरा मांगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे क्या मैं अपनी बेटियों को घसयारों से व्याहूँ गा? ऐसा नहीं करूं गा तो मेरी बेटियों की बात खाते पीते घरों से आने से रही। चुनांचि ऐसा ही हुआ उन की बेटियों की सगाई कमासुक लड़को से हुई और लाखों का जहेज़ दिया गया। मैंने कहा ठीक है तुम्हारे पास पैसा है तुम ने अपनी बेटियों की समस्याओं का समाधान कर लिया परन्तु वह शिष्ट लोग जिन के पास पैसा नहीं है जब कि उन्हों ने अपनी बेटियों की शिक्षा दीक्षा में समय लगाया है उन का क्या होगा एवं मैंने कहा अगर निकाह को एक इबादत (उपासना) समझते हुए शरीअत के अनुसार उसका निष्पादन किया जाए तो खुद को सवाब मिले तथा दूसरों के सामने "दीन आसान है" का सन्देश तथा उदाहरण आए। वास्तव में यह मंगनी, लगन, तिलक, तेल, मैन, बरात, चौथी इन में से किसी का भी इस्लाम से कोई सम्बन्ध (तअल्लुक़) नहीं है, यह भारी जहेज़ उस की मांग या बिन मांगे इस का चलन, इन के कई कारण हैं। पहली बात तो दीन की शिक्षा न होना या दीन की शिक्षा तो है परन्तु आख़िरत का विशवास निर्बल होना, दुनिया का आनन्द, तथा दुनिया का लाभ छाया हुआ होना। कुछ धनवानों को दिखावा प्रिय होना घमन्ड उस के साथ है, यह सब इन बुराइयों के कारण है। कुछ लोग चाहते हैं कि उन की बेटी अच्छे कमासुक लड़के से व्याही जाए, लड़का ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, डाक्टर हो, व्यापारी हो, उद्योग वाला हो ताकि हमारी बेटी सुखी रहे। ऐसे लड़कों को पाने के लिये वह जहेज़ का घूस प्रस्तुत करते हैं तथा ऐसे लड़के और लड़के वाले भी जहेज़ की मांग करते हैं इस प्रकार समाज जो बिगड़ा तो सुधरने की कोई डगर नहीं दिख रही है कानून ने आंशिक प्रभाव डाला परन्तु समाज का बहुसंख्यक इन्हीं विकारों में लत पत है यहाँ तक कि क़ानून बनाने वाले मंत्री, एम.एल.ए., दारोगा तथा न्याय धीष भी अपनी बेटियों की शादी में यह सब करते दिखते हैं।

समाज ऐसा बिगड़ा हुआ है कि इक्का दुक्का जब कोई सीधे सादे शादी विवाह, निकाह का आदर्श प्रस्तुत करता है तो उस पर गर्व करने के स्थान, और लज्जित होता है। कई दीनदारों को देखा गया कि उन्होंने सादगी से निकाह रुख़्सती को तो अपनाया, वलीमा भी साधरण रखा परन्तु वह जल्द ही दूसरों के भव्य भोज तथा भारी जहेज़ को ललचा पड़े कुछ ने तो सम्बन्ध ही ख़राब कर लिये। एक मित्र ने मांग की कि इस्लामी विवाह पर कोई निबन्ध लिखें हो सकता है कुछ सुधार हो। मैंने उन से वअ्दा कर लिया, चुनांचि इसी अंक में वह लेख भी प्रस्तुत है परन्तु लेख तो केवल ज्ञान देगा, ज्ञान को व्यवहार में लाना ज्ञानियों का कार्य है। दीनदारों को चाहिये के समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिये समितियाँ बनाएं उन के द्वारा धार्मिक विश्वास को सुदृढ़ बनाएं और इस्लामिक विश्वासों तथा आदेशों द्वारा समाज सुधार की चेष्ठा करें। समिती में सभी नवयुकों तथा युवतियों का रजिस्ट्रेशन हो, समिती की नियोजित तथा नियमित बैठकें हों, निकाह के योग्य युवाओं तथा युवतियों के निकाह का नियोजन समिती द्वारा हो जिस में तमाम कुरीतियों का त्याग हो। इस प्रकार की चेष्ठाओं से सुधार सम्भव हो सकता है।

व्यवस्थित समिती बनाने कठिनाई भी आ सकती है और देर भी लग सकती है अतः हर महल्ले तथा गाँव के दीनदार लोग कुछ दीनदारों का एक गुट बनाएं और महल्ले या गाँव में जिस के यहाँ भी शादी या किसी भी ख़ुशी की तक़रीब की ख़बर पाएं जमाअत बना कर उस के घर जाएं उस को ख़ुशी के मौकेअ पर इस्लामी तरीक़ा अपनाने के फ़ाइदे बताएं, तथा गुनाह के कामों से बचाने की इन्तिहाई कोशिश करें। इस कोशिश में हिक्मत हो, हमदर्दी हो दिल जीतने के जतन हों इनशा अल्लाह अवश्य सफलता मिलेगी, सब से बड़ी सफलता तो अल्लाह वास्ते कोशिश करना और उस पर सवाब पाना है।

❑❑

कुरआन की शिक्षा

मौलाना मु0 मंजूर नोमानी

हया और इफ़्फ़त

शर्म व हया, और इफ़्फ़त व पाकदामनी भी उन अख़्लाक़ में से है जिन पर कुरआने–मजीद ने ख़ास तौर से जोर दिया है। और इस की ज़िद (उलट) बेहयायी और बद अखलाकी से (जिस के लिये जामे शब्द कुरआने–मजीद में "फ़ाहिशा" और "फह्शाँ अ" का इस्तेमाल किया गया है) बचने की सख़्त ताकीद फ़र्मायी है। बल्कि "मनहियात" (ऐसी बातें जिन की मनाही है) व "मोहर्रमात" (हराम की गयी बातें) के बयान में कई जगह पहले स्थान पर इसी का ज़िक्र किया गया है। जैसे, सूरए–नह्ल की उस आयत में जो मुख़्तसर होने के बावजूद कुरआने–मजीद का एक जामे हिदायत–नामा (एक व्यापक निदेश–पत्र) है। (और इसी वजह से जुम्आ वगैरा के खुत्बों (अभिभाषणों) के आख़िर में आम तौर से इस को पढ़ा जाता है) इर्शाद फ़र्माया गया है कि :– "अल्लाह तआला अपने बन्दों को अ़द्ल व इन्साफ और एहसान वगैरा शिष्टाचार का हुक्म देता है। और

तर्जमा :– मना फर्माया है बेहयाई से और आम बुराई से और जुल्म व जियादती करने से। अल्लाह तआला तुम को यह नसीहत करता है। ताकि तुम नसीहत पकड़ो।

(अन्नह्ल : 90)

इसी तरह सूरए–अअ्राफ में जहाँ बुनयादी मोहर्रमात (हराम चीजें) का ज़िक्र फ़र्माया गया है, वहाँ भी सब से पहले नम्बर पर "फ़वाहिश" ही का नाम लिया गया है। इर्शाद है :–

तर्जमा :– ऐ रसूल! आप लोगों को फ़र्माइये कि मेरे रब ने हराम कर दिया है सब बेहयाई की बातों को, जो उन में से अलानिया हों और जो छुपी हों (यानी बेहयाई की ये बातें अलानिया करना भी हराम है और पर्दे में भी) और इसी तरह अल्लाह ने हराम किया है गुनाह को और नाहक़ जुल्म व ज़ियादती को, और इस बात को कि तुम शरीक करो उस के साथ किसी भी हस्ती को जिस की अल्लाह तआला ने कोई दलील नहीं उतारी, और यह कि तुम अल्लाह के मुतअल्लिक वह बात कहो जिस का तुम्हें (किसी सही जरीए से) इल्म नहीं हो।

(अअराफ : 33)

इन दोनों आयतों में और इन के अलावा भी जिन आयतों में बेहयाई की बातों ('फह्शा', या 'फाहिशा', या 'फवाहिश') की मुमानअत फर्माई गयी है, तो वह मुमानअत (निषेध) अस्ल में 'नही (मनाही) की शक्ल में हया और इफ़्फ़त का अम्र व हुक्म है।

इस के अलावा कुरआने–मजीद ने उन बातों से भी मना फ़र्माया है जो अपनी ज़ात से तो बेहयाई की बातें नहीं हैं, लेकिन उन से बेहयाई और अख़्लाकी अश्लीलता पैदा होने का भय हो सकता है। इसी लिये हुक्म दिया गया है कि "ना मह्रम" मर्दो और औरतों का जब सामना हो जाये तो दोनों अपनी निगाहें नीची कर लिया करें। एक दूसरे की तरफ़ न देखें।

सूरए–नूर में इर्शाद फर्माया गया है :–

तर्जमा :– ऐ रसूल! आप ईमान वालों को हुक्म दीजिये, कि (जब ना महरम औरतों का सामना हो, तो) वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें। यह उन के लिये ज़ियादा पाकीज़गी की बात है। और जो कुछ वे करते हैं और करेंगे अल्लाह तआला उस से पूरी

तरह बाख़बर है। और (इसी तरह) ईमान वाली हमारी बन्दियों को आप हुक्म सुनाइये कि वे अपनी निगाहें नीची रखा करें और शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें।

(अन्नूर : 31)

खुद आयत के शब्दों से ज़ाहिर है कि आँखों पर यह पाबंदी, हया और इफ़्फ़त व इस्मत की हिफ़ाज़त ही के लिये लगाई गई है, बल्कि पर्दे से मुतअल्लिक सारे हुक्मों की अस्ल हैसीयत यही है कि वह हया और इफ्फत व इस्मत की हिफाज़त के लिये दिये गये हैं। सूरए–अह्ज़ाब में जहाँ यह हुक्म दिया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की घर वालियों से जब कोई चीज माँगनी हो तो पर्दे की ओट से माँगा करो।''

तो वहीं इस की हिक्मत और वजह यह बयान फ़रमा दी गई :– यह तर्ज़े–अमल तुम्हारे और उन के दिलों को ज़ियादा पाक रखने वाला है।

इसी तरह इसी सूरए–अहज़ाब में जिन ईमानी अख्लाक़ व औसाफ़ रखने वाले मर्द और औरतों को मग्फ़िरत और अज्रे–अज़ीम की बशारत सुनायी गयी है, उन में से एक वस्फ़ यह पाकदामनी भी ज़िक्र फर्माया गया है। इर्शाद है।

तर्जमा :– वे अपनी शर्म गाहों की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और हिफ़ाज़त करने वाली औरतें और अल्लाह का कसरत (ज़ियादा से ज़ियादा) से ज़िक्र करने वाले मर्द और इसी तरह कसरत से उस का ज़िक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ने सब के लिये मग्फ़िरत का फ़ैसला फ़र्मा रखा है। और अज्रे–अज़ीम का सामान तैयार किया है।

(अहजाब : 35)

इसी तरह सूरए–मुअ्मिनून और सूरए–मआरिज में अल्लाह की रहमत और जन्नत के मुस्तहक़ मोमिनीन के जिन इम्तियाज़ी औसाफ़ का ज़िक्र किया गया है उन में उन की इफ़्फ़त और पाकदामनी भी है। दोनों जगह शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं। इर्शाद है :–

तर्जमा :– और वे बन्दे जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं। (यानी वे जन्नत के वारिस होंगे और जन्नत में उन का बड़ा सम्मान होगा)।

(मआरिज : 29)

बहरहाल कुरआने–मजीद की तालीम के मुताबिक हया व इफ़्फ़त भी उन ख़ास ईमानी औसाफ़ में से हैं जिन से इन्सानों की नजात व फ़लाह का मस्अला वाबिस्ता है।

तहारत व पाकीज़गी

अख़लाक़ व आदाब ही के सिल्सिले की कुर्आने–मजीद की एक तालीम यह भी है कि हर तरह की नजासत और गंदगी से अपने को पाक–साफ़ रखा जाये। सूरए–मुद्दस्सिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुखातब बना कर इर्शाद फर्माया गया है :–

तर्जमा :– और अपने कपड़े (भी) पाक साफ रखो, और हर तरह की गन्दगी और मैल–कुचैल से दूर रहो।

(मुद्दस्सिर : 4,5)

और सूरए–तौबा में अस्हाबे–नबी (स0) के एक खास वर्ग की सफाई–पसंदी और उस के खास इहतिमाम (प्रबंध) का ज़िक्र फर्मा कर इर्शाद फ़र्माया गया है :–

तर्जमा :– और अल्लाह तआला उन लोगों को महबूब रखता है जो खूब पाक–साफ़ रहते हैं और इस का एहतिमाम करते हैं।

(तौबा : 108)

और सूरए–बकरह् में एक जगह इर्शाद फ़र्माया गया है :–

तर्जमा :– अल्लाह तआला मुहब्बत रखता है तौबा करने वाले और पाक–साफ़ रहने वाले बन्दों से।

(बकरह : 222)

तहारत व पाकीज़गी उन औसाफ़ में से है जिन की वजह से बन्दा अल्लाह की महबूबियत का मुस्तहक़ हो जाता है।

अल्लाहुम्म ज्अ़लना मिनत्तव्वाबीन वज्अ़लना मिनल् मुततहिहरीन0

(तर्जमा :– ऐ अल्लाह कर दे हमें तौबा करने वालों में से और कर दे हमें पाक–साफ़ लोगों में।)

❑❑

प्यारे नबी की प्यारी बातें

अमतुल्लाह तसनीम

खुदातरस ग़नी लोगों का छुपा रहना :

हजरत सअद (र0) बिन अबी वक़्क़ास से रिवायत है कि मैंने नबी (स0) से सुना है कि अल्लाह तआला उस बन्दे से मुहब्बत करता है जो मुत्तक़ी हो, ग़नी हो, और छुपा हुआ हो। (मुस्लिम)

हजरत अबू सअीद (र0) खुदरी से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी (स0) से अर्ज़ किया कि सबसे बेहतर कौन लोग हैं। आपने फ़रमाया, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान व माल के साथ जिहाद करें। कहा, फिर कौन? फ़रमाया, वह शख़्स जो आदमियों से अलग किसी घाटी में तन्हा रहे और अल्लाह की अ़िबादत करता रहे। (बुख़ारी–मुस्लिम)

एक रिवायत में है कि अल्लाह से डरे और लोगों को अपने (यानी उनके) शर से बचाये।

अपने दीन की हिफ़ाज़त

हजरत अबू सअ़ीद खुदरी (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क़रीब है कि लोगों के माल में सबसे ज़ियादः बेहतर बकरियाँ हों जिनको लेकर अपने दीन की हिफ़ाज़त के लिए पहाड़ की चोटी या बारिश की जगह पनाह ले।

बकरियाँ चराना पैग़म्बरों की सुन्नत है

हजरत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि नबी (स0) ने फरमाया, अल्लाह तआला ने जितने नबी भेजे हैं। सबने बकरियाँ चराई हैं। सहाबा (र0) ने अर्ज़ किया, आपने भी? फरमाया, हाँ। मैं मक्का वालों की बकरियाँ कुछ पैसों पर चराया करता था। (बुख़ारी)

सबसे बेहतर ज़िन्दगी

हजरत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि नबी (स0) ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर उसकी जिन्दगी है जो अपने घोड़े की लगाम अल्लाह की राह में थामे हैं। जब कोई धमाका या घबराहट की आवाज सुनता है तो उसकी पीठ पर बैठ जाता है और शहादत या मौत के ठिकाने तलाश करता है। या वह आदमी जो कुछ बकरियाँ लेकर किसी घाटी या किसी वादी में बैठ जाये, पूरी नमाज़ पढ़ता हो, ज़कात देता हो, और अपने परवरदिगार की अ़िबादत करता हो। यहाँ तक कि मौत आ जाये, वह सबसे बेहतर है।

मआ़शरत व इख़्तिलात

लोगों से मिलना, जुलना, जुमा जमात और ख़ैर के मवाक़िअ़ और मज्लिसों में शरीक होना, मरीज़ की इयादत करना, जनाज़े के साथ चलना, मुहताजों की मदद करना, जाहिलों को हिदायत करना, और दूसरे नेक कामों में शिरकत करना (जो लोगों के मिलने–जुलने ही से अन्जाम पाते हैं) अफ़्ज़ल है। यही तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अम्बियाये किराम, खुलफ़ाये राशिदीन, सहाबा, ताबिईन और उलमाये मुस्लिमीन का था। और यही अइम्मः व फ़ुक़हा का मस्लक है। और यही इस आयत का मफ़्हूम है। वतआ़वनू अ़लल्बिर्रि वत्तक़्वा। (एक दूसरे की नेकी और परहेजगारी पर मदद करो)। इसके अलावा दूसरी आयात भी इस मजमून की हैं।

(जामिअ़किताब इमाम नववी)

तवाजुअ़ का हुकम

हजरत अ़याज़ (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अल्लाह तआला ने मेरी तरफ़ 'वहीय' भेजी कि एक दूसरे के साथ फ़िरोतनी और तवाजुअ के साथ पेश आओ। न कोई किसी पर फ़ख्र करे न सरकशी। (मुस्लिम)

तवाजुअ से अल्लाह तआला अ़िज्जत देता है

हजरत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, सदक़ा किसी का माल

नहीं घटाता। और जब बन्दह किसी की खता मुआफ़ कर देता है तो अल्लाह तआला उसकी अ़िज्जत बढ़ा देता है। और तवाजुअ़ करने से दर्जा बलन्द करता है। (मुस्लिम)

बच्चों को सलाम

हज़रत अनस (र0) कुछ बच्चों के पास से गुज़रे तो उनको सलाम किया और फ़रमाया, नबी (स0) ऐसे ही किया करते थे। (बुख़ारी–मुस्लिम)

रसूलुल्लाह (स0) की तवाजुअ़

हजरत अनस (र0) से रिवायत है कि मदीने की कोई लौन्डी आती और मुहम्मद (स0) का दस्तॅ मुबारक पकड़कर जहाँ चाहती ले जाती। (बुख़ारी)

घरवालों की ख़िदमत

हजरत असवद (र0) बिन यज़ीद से रिवायत है कि मैंने हजरत आयशः (र0) से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम घर में क्या–क्या करते थे। उन्होंने कहा घरवालों की ख़िदमत में लगे रहते थे। और जब नमाज़ का वक़्त आता तो तशरीफ़ ले जाते थे। (बुख़ारी)

खुतबा छोड़कर एक आमी के पास आना और उसको तालीम देना

हजरत तमीम (र0) बिन उसैद से रिवायत है कि मैं नबी (स0) की ख़िदमत में पहुंचा। आप ख़ुतबा फ़रमा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मैं एक मुसाफ़िर आदमी हूँ। दीन के मुतअल्लिक़ कुछ सवाल करने आया हूँ और मैं दीन के मुतअल्लिक़ कुछ नहीं जानता। पस आपने खुतबा छोड़ दिया और मेरे पास तशरीफ़ लाये। आपके लिए एक कुर्सी लायी गयी आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा हुए और मुझे वही सिखलाने लगे जो उनको अल्लाह ने सिखलाया था। फिर खुतबा की तरफ़ मुतवज्जिः हुए और उसको पूरा किया। (मुस्लिम)

खानेमें तवाजुअ़

हजरत अनस (र0) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खाना नोश फ़रमाते थे तो अपनी तीन उँगलियाँ चाट लेते थे। हजरत अनस (र0) कहते हैं कि आपने फ़रमाया, तुममें से किसी का कोई लुकमः गिर जाये तो वह उठा ले और साफ़ करके खा ले। उसको शैतान के लिए न छोड़े। और हुक्म दिया है कि प्याला साफ़ कर लिया करो। इसलिए कि तुमको ख़बर नहीं तुम्हारे किस खाने में बर्कत है। (मुस्लिम)

हदयः कुबूल करने में तवाजुअ़

हजरत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि नबी (स0) ने फ़रमाया, अगर कोई एक दस्त या एक पाये की दावत करे तो मैं कुबूल कर लूँ। या कोई एक पाये या एक दस्त हदयः करे तो मैं कुबूल कर लूँ। (बुख़ारी)

दुनिया की जो चीज़ सरबलन्द होगी उसका नीचा होना जरूरी है

हजरत अनस (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक ऊँटनी थी उसका नाम अज़बा था। कोई ऊँट उससे आगे न बढ़ने पाता। एक दिन एक देहाती आया और अपनी एक छोटी सी ऊँटनी पर बैठा। वह आपकी ऊँटनी पर सबक़त ले गयी। मुसलमानों पर यह बात शाक़ गुजरी। आप समझ गये। फ़रमाया, अल्लाह ने इसका ज़िम्मा लिया है कि दुनिया की जो चीज़ भी दूसरों से ऊँची होगी उसको नीचा करेगा।

बेशक़ क़ारून, मूसा (अ0) की बिरादरी से था। वह (क़सरतें माल की वजह से) उन लोगों के मुक़ाबले में तकब्बुर करने लगा। और (उसके माल की कसरत इतनी थी) हमने उसको इस क़दर ख़ज़ाने दिये थे कि उन की कुंजियाँ कई–कई ज़ोर आवर शख़्सों को गराँबार कर देती थीं। जब उसकी बिरादरी ने उससे कहा कि तू इतरा मत, वाक़ई अल्लाह तआला इतराने वालों को पसन्द नहीं करता और जो तुझको खुदाने दे रक्खा है उसमें आलमे आखिरत की भी जुस्तुजू कर और दुनिया से अपना हिस्सा (आख़िरत में ले जाना) फ़रामोश मत कर और जिस तरह खुदाए तआला ने तेरे साथ इहसान किया है तू भी बन्दों के साथ इहसान कर और दुनिया में फ़साद का ख्वाहाँ मत हो। बेशक अल्लाह तआला अहले फ़साद को पसन्द नहीं करता। क़ारून ने कहा, यह सब तो मुझको मेरी जाती हुनरमन्दी से मिला है। क्या इस

(क़ारून) ने यह न जाना कि अल्लाह तआला इससे पहले गुज़िश्तः उम्मतों में ऐसे ऐसों को हलाक कर चुका है जो कुव्वत (माली) में (भी) इससे कहीं बढ़े हुऐ थे और मजमा (भी) उनका (इससे) ज़ियादः था और अहले जुर्म से उनके गुनाहों का (तहक़ीक़ करने की ग़र्ज़ से) सवाल न करना पड़ेगा। फिर वह अपनी आराईश से अपनी बिरादरी के सामने निकला। जो लोग दुनिया के तालिब थे (गो मोमिन हों) कहने लगे क्या खूब होता कि हमको भी वह साज़ व सामान मिला होता जैसा क़ारून को मिला है। वाक़ई वह बड़ा साहबे नसीब है। और जिन लोगों को (दीन) की फ़हम अता हुई थी वह (इन हरीसों से) कहने लगे अरे तुम्हारा सत्तियानास हो (तुम इस दुनिया पर क्या ललचाते हो) अल्लाह तआला के घर का सवाब इस दुनियावी कर्र व फ़र से हजार दर्जा बेहतर है। उस शख़्स के लिए जो ईमान लाये और नेक अमल करे और उन्हीं को मिलता है। जो सब्र करने वाले हैं। फिर हमने क़ारून को मय उसकी महिलसरा के धंसा दिया। सो कोई ऐसी जमाअत न थी जो उसको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेती और न वह खुद ही अपने को बचा सका। और कल जो लोग उस जैसे होने की तमन्ना करते थे वह आज कहने लगे, बस जी! यों मालूम होता है कि अल्लाह अपने बन्दों में से जिसको चाहे ज़ियादः रोज़ी देता है। और (जिसको चाहे) तंगी से देने लगता है। अगर हम पर अल्लाह तआला की मेहरबानी न होती तो हमको भी धंसा देता। बस जी, मालूम हुआ कि काफ़िरों को फ़लाह नहीं होती।

(सू0 क़सिस रु0 8 आ0 76–82)

मुतकब्बिर जन्नत में न जायेगा; तकब्बुर क्या है?

हजरत अब्दुल्लाह (र0) बिन मस्ऊद (र0) से रिवायत है कि नबी (स0) ने फ़रमाया, जिस शख्स के दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में न दाखिल होगा। किसी ने कहा, आदमी अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पसन्द करता है। फ़रमाया, अल्लाह नफ़ासत और सुथराई को पसन्द करता है। तकब्बुर तो हक़ बात न मानना और लोगों को हक़ीर समझना है। (मुस्लिम)

मुतकब्बिर को बद्दुआ

हजरत समलः (र0) बिन अकवअ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने एक आदमी अपने बायें हाथ से खा रहा था। आपने फ़रमाया, सीधे हाथ से खाओ। वह बोला नहीं खा सकता। आपने फ़रमाया, न खा सको (उसके गुरूर ने यह बात कहलायी थी)। फिर वह अपना सीधा हाथ मुंह की तरफ कभी न उठा सका। (बुखारी–मुस्लिम)

❑❑

हम कैसे पढ़ायें .....

लेकिन अच्छे अध्यापक रहे हैं। वह निबन्ध लेखन तथा व्याकरण साथ साथ सिखाते हैं। निबन्ध लेखन को शिक्षण में जहाँ जरूरत होती है व्याकरण के नियम स्पष्ट कर देते हैं और इतिहास पढ़ाते समय उन भौगोलिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित करते हैं जिन के बिना इतिहास की घटनायें अधूरी और बेजान रह जाती हैं। अब तो मांइड की परिकल्पना ही बदल गयी है। अब यह समझा जाता है कि माइंड अलग अलग शक्तियों की मंजूषा होन के बजाय उद्देश्यपूर्ण शक्तियों का एक सिस्टम है अर्थात इस की तमाम शक्तियाँ एक ही रिश्ते में जकड़ी हुई हैं, इस लिये अब शिक्षण–जगत में विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की परिधि में रब्त (एसोसियशन) को उसूल पर बहुत जोर दिया जाने लगा है। युरोप के कुछ क्षेत्रों में तो ऐसी संस्थायें कायम हो गयी हैं कि जो प्राथमिक स्कूल के प्रारम्भ के दो एक साल में विषयवार शिक्षण की बिल्कुल व्यवस्था नहीं करतीं। बच्चे जो कुछ सीखते हैं उन व्यस्तताओं के द्वारा सीखते हैं जो स्कूल में जारी की जाती हैं। जैसे शैक्षिक भ्रमण, पर्यटन, खेल–कूद, स्वास्थ्य व सफाई से सम्बन्धित व्यवहारिक कार्य आदि। बड़ी खूबी की बात यह है कि तीन साल तक इन संस्थाओं में पढ़े, बच्चे किसी ऐतबार से भी सामान्य स्कूलों के बच्चों से पीछे नहीं होते। ज्ञान अधिक सार्थक और जीवन उपयोगी होता है। (जारी)

❑❑

किस्त : 15

कारवाने ज़िन्दगी

आत्म कथा

मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी

लखनऊ यूनीवर्सिटी में दाख़िला

1927 के अगस्त महीनः की शुरूआत की तारीखें थीं, मैं रायबरेली आया हुआ था वहाँ चचा मौलाना सैयद तल्हा साहब से (अरब साहब की हिदायत और पाठयक्रम के अनुसार) तालीम का सिलसिला जारी किये हुए था। दिन के 11–12 बजे होंगे कि अचानक भाई साहब का आगमन लखनऊ से हुआ, और उन्होंने वालिदः साहिबः और फूफा साहब से कहा कि अली को लखनऊ ले जाना है। यह लखनऊ यूनीवर्सिटी के दर्जा फाजिले अदब में दाखिल होंगे। मेरी उम्र उस समय चौदह साल की रही होगी। शफ़ीक़ भाई और स्नेही गुरू खलील अरब साहब जो फैसला करते उस में चून व चरा की गुंजाइश न थी। लेकिन यह फैसला भाई साहब की पसन्द के खिलाफ था, और कदाचित उन्होंने अरब साहब के दबाव में किया जो लखनऊ यूनीवर्सिटी की अरबी परीक्षाओं को लाभप्रद समझते थे। बहर हाल मैं अगले दिन भाई साहब के साथ लखनऊ गया। भाई साहब ने मेरी नई शेरवानी बनवाई। और मैं 8 अगस्त 1927 या किसी करीबी तारीख को दाखिला के इम्तेहान के लिये यूनीवर्सिटी पहुंचा। भाई अबू बक्र भी उम्मीदवारों में थे। मुझे याद है कि उन सब उम्मीदवारों में जो बाहर खड़े थे, मैं सब से कम उम्र और तालीमी लेहाज से सबसे कम था आमतौर से यह उम्मीदवार अरबी मदरसों के फाजिल और दाढ़ी वाले जवान थे। यूनीवर्सिटी के तर्रार स्टूडेन्ट ने तो मुझे देख कर यहाँ तक रिमार्क कसा कि साहब जादे तुम्हारी माँ ने तुम को कैसे यहाँ आने की इजाजत दी? इम्तेहान के बोर्ड में शमसुलउलमा मौलाना हफीज़ उल्ला साहब प्रिंस्पल नदवा, डा0 जुबैर सिद्दीकी विभागाध्यक्ष अरबी ओर मौल्वी अली असगर साहब प्रवक्ता अरबी बैठे थे। मेरे सामने किताब 'रसायल अंबी बक्र अल्ख़्वार्जिमी' रखी गयी, और मैंने बड़ी आसानी के साथ इबारत पढ़ी, मआनीं बयान किये और सवालों के जवाब दिये, और मेरा दाखिला हो गयां, लेकिन इस दाखिले के और दर्जा में हाजिरी के बावजूद पढ़ाई की किताबों का सबक अरब साहब के यहाँ जारी था, और वास्तव में वही फायदेमन्द, ज्ञान मयी तथा रोचक था, इसमें कुछ एक सहपाठी भी सम्मिलित होते थे।

फ़ाज़िले अदब का सिलेबस बुरा न था। किताबों के चयन और तरतीब में बुनियादी सुझाव शेख खलील साहब का था जो पूरे अरबी विभाग पर छोये हुए थे। सभी उनका बड़ा सम्मान करते थे। और विभागाध्यक्ष भी उनसे ज्ञानर्जन करते। इस दर्जे की कई किताबें मेरी पढ़ी हुई थीं। कठिनाई दो चीजों में थी एक छन्द–शास्त्र (फन्ने उरूज़ Prosody), इस फन्न से न उस समय मुनासिबत थी न अब है। दूसरे कठिन व्याकरण नियम, शब्दावलियां और उन की बारीकियां। मेरी कुल जमा पूंजी व्याकरण के वयवहरिक नियम समझ और अभ्यास था। अप्रैल 1928 में वार्षिक परीक्षायें हुईं। मेरे पर्चे सब बहुत अच्छें हुए, विशेषकर निबन्ध–लेखन का पर्चा। मेरा अरबी उर्दू ख़त (वर्तनी) भी अच्छा था, लेकिन जब नतीजा निकला तो सब को यह सुन कर हैरत हुई कि मैं नाकाम रहा। मालूम हुआ कि हमासः के पर्चे में, जिस में कई ऐसे प्रश्न थे जो मेरी क्षमता से परे थे, फेल हुआ हूँ। विभाग के जानकार लोगों से पता चला कि अगर मैं इस पर्चे में सिर्फ पास हो जाता तो भी दर्जे में फर्स्ट आता। इस नाकामी का दुख मुझे, भाई साहब, अरब साहब और खास तौर पर मेरी माँ को हुआ लेकिन शायद इसमें भी हिकमते इलाही थीं कि मुझे नाकामी का

तजूर्बा करने और इसे सहन करने का मौका मिला, और दोबारा कठोर परस्थि के लिये मजबूर हुआ।

अगले साल अप्रैल 1929 में जो इम्तेहान हुआ तो इसकी पूरी भरपाई हो गयी और मैं अपने दर्जे में फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन आया। वजीफे का भी पात्र हुआ और गोल्ड मेडल का भी वजीफा जिसके लिये इस विभाग के किसी और दर्जे में दाखिला की शर्त थी, और मैं इसी मसलहत से फाजिले हदीस में दाखिल हो गया, मुझे साल भर वजीफा मिला। पढ़ने वालों को यह जान कर हैरत होगी कि यह आठ रुपया माहवार का एज़ाज़ी वजीफा था, गोल्ड मेडल मेरी किस्मत में न था कि उस साल संयोग वश किसी तअल्लुकदार ने इस के लिये यूनीवर्सिटी में रकम नहीं जमा कराई मुझे इसको पाने की हसरत ही रह गयी, सम्भक्तः इस की कीमत सौ रुपये से जायद न होती होगी। उस समय अगर कोई पेशीनगोई करता कि तुम्हें इसके बजाय किसी जमाने में सब से बड़ी कांबिले एहतराम हुकूमत (सअदी अरब) की तरफ से फैसल एवार्ड की शक्ल में वह बहुमूल्य गोल्ड मेडल मिलेगा जिसकी कीमत से यूनिवर्सिटी के इस मेडल को कोई निस्बत नहीं, तो कोई यकीन न करता।

इसी साल दिस्मब्र 1929 को यूनीवर्सिटी के कनवोकेशन में गवर्नर यू0पी0 सर माल कम हेली ने डिग्रियां तकसीम कीं और मैंने भी अपने साथियों सैयद अबू बक्र आदि के साथ डिग्री ली। और सितमजरीफी मेरी जिन्गदी में पेश आकर रही कि अरबी अदब और जबान की सनद एक अंग्रेज हाकिम और दुश्मने इस्लाम कौम के व्यक्ति से ली जाये, लेकिन हर चीज़ को अपने जमाना व माहौल से नापना चाहिये, उस माहैल में यह चीज मायुब (अवगुण) नहीं समझी जाती थी।

फाजिले अदब का इम्तेहान तो मैंने बिना पढ़े और मेहनत के दे दिया, और कामयाब हुआ लेकिन उस समय इतना एहसास पैदा हो गया था कि इस की सनद आधी सदी गुजर जाने के बाद भी आज तक नहीं ली।

एक महरूमी (वंचित रहजाना)

उस समय पूर्वजों की ज़िन्दा यादगार और एक धर्म गुरू हमारे खानदान में मौजूद थे, जिन का शुभनाम मौलाना सैयद मो0 अमीन नसीरा बादी है, वह हमारे नसीरा बाद के वंशज की शाखा में थे, बैअत (हाथ में हाथ देना) तो शायद बचपन में समकालीन शेख हजरत मौलाना सैयद ख़्वाजा अहमद साहब नसीरा बादी से की थी, मगर सुलूक की तालीम हमारे नाना हज़रत मौलाना शाह सैयद ज़ियाउन्नबी साहब से हासिल की थी, अपने जमाने के मुमताज तरीन (विशिष्टतम) सुन्नत के पक्षधर और विदअत के घोर विरोधी थे। जिला रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ में उन की जात से बड़ी इस्लाह हुई, सुधार हुआ। हजारो आदमी इस्लाम की पहचान के पाबन्द, सुन्नतों पर कारबन्द और बिदआत से तौबः करने वाले हुए। अल्लाह ने बड़ी वजाहत (आकर्षक व्यक्तित्व) और लोक प्रियता प्रदान की थी, और उन्होंने अपने अनुवाइयों में एक छोटी सी शरअई हुकूमत कायम कर ली थी जिस में शरीअत ही का कानून चलता था।

आश्चर्य की बात यह है कि मौलानी की मौत जुमादल उख़रा 1349 हिज्री (1931) में हुई जब मैं शऊर को पहुंच चुका था, और अरबी तालीम हो रही थी। नसीरा बाद रायबरेली से सिर्फ दस कोस दूरी पर स्थित है, और पुराना वतन और रिश्तेदारों का गाँव, मगर मालूम नहीं क्यों बुजर्गो को यह ख्याल नहीं हुआ कि मुझे उनकी खिदमत में भेजें, और मैं उन की दुआयें लूं। यक़ीन है कि अगर मैं उन की खिदमत में हाजिर होता तो बड़ी शफक़त फरमाते, उन का स्नेह मिलता, इस लिये कि पिता जी से नजदीकी रिश्तेदारी के अलावा एक ही वंशज के प्रशंसक थे। इस को याद करता हूँ तो अपनी इस महरूमी पर अफ़सोस करता हूँ। (जारी)

❑❑

किस्त : 6

जगनायक

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

मौलाना मुहम्मद राबे हसनी

अनुवाद मु0 गुफरान नदवी

इतिहासकार लिखते हैं :–

"बौद्ध धर्म जो हिन्दुस्तान और मध्य एशिया में फैला हुआ था वह भी एक ऐसे मूर्ति पूजा वाले धर्म में बदल चुका था कि बुत उसके साथ चलते थे जहाँ उसके काफिले का पड़ाव होता वहाँ गौतम बौद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती और देखते–देखते एक मअ़बूद (पूज्य) तय्यार हो जाता, विद्वानो को इस धर्म और इसके संस्थापक के बारे में अभी तक यह सन्देह है कि आकाश व धरती और स्वयं इन्सान के बनाने वाले खुदा के अस्तित्तव पर उनका अकीदा व ईमान था या नहीं। उनको आश्चर्य है कि ईमान व अकीदा के बिना यह महान धर्म कैसे कायम रह सका।

हिन्दू धर्म :–

जहाँ तक हिन्दू धर्म का सम्बन्ध है वह देवी देताओं की कसरत (बाहुलयता) में दूसरे धर्मो से बहुत आगे है, छटी शताब्दी में इस धर्म में मूर्ति पूजा अपनी चरम सीमा पर थी। मअ़बूदों (पूज्य) की तअदाद (संख्या) उस शताब्दी में तैंतिस करोड़ तक बताई जाती है, प्रत्येक महान हैबतनाक (भयावह) अथवा नफ़ा पहुंचाने वाली वस्तु मअ़बूद थी, मूर्ति कला भी अपनी चरम सीमा पर थी उसमें नई नई बातें निकाली जाती थी।"(1)

रूमी या ईरानी इलाकों की सलतनतें :–

हकीमुल इस्लाम हजरत शाह वली उल्लाह देहलवी जो अपने इलमी व फिक्ही काम और मकाम के लिहाज से अपने जमाने के मुजद्दिद व इमाम (नवीन कर्ता व नायक) करार पाए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवंत के जमाने अर्थात छटी सदी ईसवी के हालात पर नज़र डालते हुवे ईरानी व रूमी हुकूमतों के बारे में जिनमें से एक हिन्दुस्तान के पच्छमी किनारे से शुरू होकर पच्छिम के पूर्वी भाग तक और दूसरी सीरिया के इलाके से शुरू होकर स्पेन के मुल्क तक फैली हुई थीं और उस जमाने की सबसे बड़ी ताक़तें और महान सभ्यता का केन्द्र समझी जाती थीं, लिखा है कि– "उस समय ईरान और रूम अर्थात सासानी और बैज़िनतीनी हुकेमतें जो दुनिया की महान साम्राज्यवाद के रुप में इस भूमन्डल पर छाई हुई थीं, उनको इस ज़मीन पर हुकूमत करने का अवसर कई सदयों से मिलता रहा था और वह दुनिया की लज़्ज़त में मस्त हो रहे थे और आखिरत (प्रलोक) की ज़िन्दगी सब भूल चुके थे और उन पर शैतान का असर व गलबह (प्रभाव और अधिकार) छा चुका था, जिन्दगी के लुत्फ व राहत (आनन्द तथा विश्राम) के साधनों में बहुत गहराई तक चले गए थे और उसमें एक दूसरे पर फख्र (गर्व) कर रहे थे और दुनिया के कोने कोने से विद्वान और हुनरमन्द उनके पास इकट्ठा हो गए थे और वह उनके लिये जिन्दगी के बारीक पहलुओं तकाजो के लिये रास्ते निकाल रहे थे जिन पर वह बराबर अमल पैरा हो रहे थे और उस पर एक दूसरे से बाजी ले जाना चाहते थे और एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, यहाँ तक कि यह कहा गया कि उनके बड़े लोगों मे से कोई अपनी बड़ाई के प्रदर्शन के लिये कमर में पटका, या सर पर टोपी अगर एक लाख दरहम से कम की लगाता तो उसको लोग आर (लज्जा) दिलाते, इसी तरह अगर उसका ऊँचा महल न होता जिसमें फव्वारा लगा होता और शानदार हम्माम (स्नान गृह) और बागीचे और उसके पास सवारी के लिये शानदार जानवर न होते और खूबसूरत व दिलकश (हृद आकर्षक) ख़िदमतगार न होते और खाने की किसमों (विराइटीज़) में फैलाव न होता और लिबास में जमाल और वकार (सुन्दरता और प्रतिष्ठा) का अन्दाज न होता, इसी तरह और

(1) नबी रहमत–पेज न0 42

चीजें, जिनके वर्णान से बात लंबी होगी अगर न होतीं तो उसको महान और महत्वपूर्ण आदमी न समझा जाता, और यह चीज़ें उनकी ज़िन्दगी की बुनयादों मे सरायत कर गई थीं जो उनके दिलों से निकल नहीं सकती थीं सिवाए इसके कि वह दिल चीर दिये जाएं या काट डाले जाएं। यह ऐसी बीमारी पैदा हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था वह बुरी तरह इसमें फंस गए थे और जकड़ गए थे, उनके समाज का कोई वर्ग छोटा बड़ा, अमीर गरीब कोई इस बीमारी से सुरक्षित नहीं था, यह मुसीबत सब पर छा गई थी और उसने उनको मजबूती से पकड़ लिया था और उनको उससे बचने की कोई सूरत नहीं रखी थी, उसने उनपर ऐसी परेशानियाँ और फिकरें गालिब (प्रभुत्वशाली) कर दीं थीं कि जिनका कोई सिरा नज़र नहीं आता था, इसलिये उनके सारे तकाज़े बगैर उसके हासिल नहीं हो सकते थे कि जबरदस्त माल व दौलत खर्च किया जाए और यह माल व दौलत हासिल नहीं हो सकता था मगर टेक्स पर टेक्स लगाने से जो काश्तकारों और ताजिरों और उन्हीं जैसे लोगो पर लगाया जाता था और उसका दाएरह (क्षेत्र) उन पर बराबर तंग किया जा रहा था और वह अगर उनके अदा करने से मजबूर होते तो उन पर जबर दस्ती की जाती थी और उन पर मुसीबत ढाई जाती थी, वह उनको गाय बैल की तरह अपने इस्तेमाल में लाते थे कि जिनको पानी ढोने और खलयान में काम करने या खेतियाँ काटने के लिये इस्तेमाल किया जाता और जिनको इसी लिये रखा जाता है कि तरह तरह की इन सारी जरूरतों में उनसे काम लिया जाए और फिर उनको मेहनत के काम से एक घड़ी भी नहीं छोड़ा जाता था वह इस हाल में हो गए थे कि उनके सामने आखिरत की राहत और कामयाबी का कोई मसअला नहीं था, पूरा पूरा मुल्क ऐसे लोगों से ख़ाली हो गया था जिनको अपने दीन का ख़्याल हो, जो लोग उनके पास आते जाते थे वह उन बड़ों के रंग ढंग की नकल करते थे और अगर ऐसा न करते तो उनके यहाँ कोई इज्जत और सम्मान न होता और उनका कोई ख़्याल भी न किया जाता।

आम इन्सान अपने हाकिम के मोहताज हो के रह गए थे उनके सामने हर वक्त हाथ फैलाए रहते थे, कभी इस तअल्लुक (संबंध) से कि वह लड़ाई और जंग के कारिन्दे हैं, और देश के प्रबंध व्यवस्था के जिम्मेदार हैं और वह उन्हीं के तरीके की नकल करते थे, इसका मकसद (उद्देश्य) जरूरत पूरी करना न था बल्कि अपने बड़ों के तरीके पर चलना था, कभी इस तअल्लुक (संबंध) से उनसे जुड़े होते थे कि वह शाएर (कवि) हैं और बादशाहो के तारीका उनको इनआम एकराम (पुरस्कार और सम्मान) देने का है और कभी इस तअल्लुक (संबंध) से कि वह तारिके दुनिया (संसार त्यागी) किस्म के लोग हैं कि उनकी परेशानी की फिक्र (चिन्ता) बादशाह के लिये करना उचित समझा जाता था। और उन में से कोई किसी को परेशान भी करता था और उनकी आमदनी (आय) का जरीअः (साधन) बादशाहों की सोहबत एखतियार करने में और उनके साथ तअल्लुक (संबंध) का कायम करने में और उनके साथ अच्छी बातें करने में और चापलोसी में होता था, और यह सब चीजे ज़िन्दगी का फन (आर्ट) बनगई थीं कि जिसमें उनकी अक्ल (बुद्धि) सोच, चिन्तन भांति भांति के रूप धारण करती थीं और इसमें उनका सारा समय बेकार होता था, इन सबका नतीजा यह हुवा था कि इस तरह के कामों से लोगों के दिलों में बहुत घटया विचार पैदा हो रहे थे और अच्छे विचारों और उच्च स्तर की नैतिकता से लोग हट गए थे।''[1]

अरबद्वीप :– इधर अरबों का हाल शिर्क, कुफ्र व गुमराही में किसी से कम न था, वह अपने को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर कहते थे, लेकिन उसके खिलाफ शिर्क और सख्त बेदीनी में मुब्तला (ग्रस्त) थे, जाहिल थे और इल्म से दूर थे इसकी वजह से तमद्दुन (नागरिकता) से आने वाली खराबियाँ उनमें नहीं थीं, इस तरह वह जन्म

(1) हुज्जतुल्लाहुल बालिगा प्रथम भाग अध्याय ''इकामतुल इरतिफ़ाक़ात व इसलाहुररूसूम''

जात से स्वाभाविक और प्राकृति थे और केवल अपने अपने खानदान की परमप्राओं के पाँबन्द थे, अपने पूर्वजों के रीति रिवाज को मूल आधार समझते थे, वह जिस बात को पसन्द कर लें उस पर जम जाते थे, अपनी बात और सम्मान पर अड़ जाते थे, जान ले लेते और जान दे देते थे, वह मुशरिक थे बुत परस्त थे, जुल्म व हया सोजी (लज्जा हीन) के जो तरीके उनमें फैल गए थे, उन पर जमे हुये थे।

इसमें शुबहा (सन्देह) नहीं किया जा सकता कि बुत परस्ती उस जमाने में पूरी दुनिया में फैली हुई थी बहरे ओकयानूस (अटलांटिक महासागर) से बहरूल काहिल (प्रशान्त महासागर) तक दुनिया बुत परस्ती में डूबी अुई थी। ईसाइयत, सामी धर्म वाले, बुद्धमत, मानो बुतों (मुर्तियों) के आदर सम्मान में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने में प्रयत्नशील थे।

विश्वव्यी पास्तर पर इन्सानों की पस्ती (पतन) और बिगाड़ :–

सारांश यह कि मानव इतिहास में यह स्थान ऐसा आ गया था कि पूर्ण मानवता आत्म हत्या के रास्ते पर तेजी के साथ चल पड़ी थी, इन्सान अपने पैदा करने वाले मालिक को भूल चुका था और स्वयं अपने आपको और अपने भविष्य और परिणाम को भुला दिया था। उसके अन्दर, भलाई और बुराई गुण और अवगुण के बीच अन्तर करने की क्षमता नहीं रह गई थी। ऐसा मअलूम होता था कि इन्सानों के दिल और दिमाग किसी चीज में खो चुके हैं। उनको दीन व आखिरत (प्रलोक) की ओर सर उठाकर देखने की भी फुरसत नहीं और रूह व कल्ब (आत्मा व हृदय) की गिजा, आखिरत की कामयाबी, इन्सानियत की खिदमत और हाल को सुधारने के लिये उनके पास एक लम्हा (क्षण) खाली नहीं, कभी कभी पूरे देश में एक व्यक्ति भी ऐसा नजर न आता था जिसको अपने दीन की चिन्ता हो, जो एक खुदा को पूजता हो और किसी को उसका शरीक न ठहराता हो, जिसके अन्तः कारण में मानवता के लिए दर्द हो तथा उसमें अन्धकार मय भविष्य के प्रति बेचैनी हो। यह स्थिति अल्लाह तआला के इस इरशाद की हूबहू तस्वीर थी कि :–

अनुवाद :– जल और थल में लोगों के कर्म के कारण फसाद फैल गया है, ताकि खुदा उनको उनके कुछ एक कर्मों का मजा चखाए, अजब नहीं कि वह बाज़ आजाएं [1] (सूर : रूम–41)

शाहवली उल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवत से पहले दुनिया के मजहबी, तमद्दुनी (सांस्कृतिक) और समाजी हालात का जाएजा लेने के बअद आलमी (विश्वव्यापी) नबी की जरूरत पर रोशनी डालते हुये लिखते है :–

"यह मुसीबत जब बहुत बढ़ गई और यह मर्ज सख्त होता चला गया तो अल्लाह तआला की उन पर बहुत नाराजगी हुई और अल्लाह के मुकर्रब (सम्मानित) फरिशते भी उनसे नाराज हुवे और अल्लाह तआला की मर्जी उस मर्ज के इलाज के सिलसिले में उस मर्ज की जड़ ही काट देने की हूई और इसी लिये ऐसे नबी को भेजा जिसका पालन पोषण शिक्षा के रास्ते से नहीं हुवा था और वह उम्मी (अनपढ़) था, (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और न वह ईरानी विद्वानों से मिला था और न वह रूमी विद्वानों से मिला था और न उसने उन लोगों के तौर तरीक (जीवन पद्विति) को अपनाया था, और अल्लाह तआला ने उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक तराजू का अन्दाज तरीका अता फरमा दिया था, कि जिससे वह अच्छे तौर तरीके को जो अल्लाह को पसन्द है, बुरे तौर तरीक से जो अल्लाह को नापसन्द है, जुदा करता था और अल्लाह तआला ने उसकी जबान को बोलने की वह ताकत दी जिससे वह बुरे कामों और बुरी आदतों की निन्दा करता था, जैसे रेशम आदि के कपड़े पहनना, सोने चाँदी के बरतन इस्तेमाल करना, घरों को तस्वीरों और फूल बूटों से सजाना, अल्लाह के अलावा दूसरों की बड़ाई खत्म कर के अल्लाह की बड़ाई काइम करदी और यह बात तैकरदी कि अब किसरा के खातमे के बअद फिर किसरा नहीं पैदा होगा, और कैसर के खत्म होने से नया कैसर नहीं पैदा होगा।"

(1) नबी रहमत, पृष्ट न0 58

ईमान की हक़ीक़त

मौ0 सैयद बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी

ईमान केवल जुबान से उसके इकरार का नाम नहीं। वास्तव में इसका सम्बन्ध दिल से है। अगर कोई अपने आप को मुसलमान समझता है और काम काज में भी मुसलमानों जैसा करता है उस को दुनिया लाख मुसलमान समझे लेकिन अगर उस का दिल अल्लाह के सामने झुका नहीं है और सन्देह और असमंजस के घेरे से वह न निकल सका हो तो ईमान वालो की सूची में उसका सम्मिलित होना बहुत कठिन है। उसकी परीक्षा होती है। दुखों और कठिनाईयों के समय में अगर आदमी अडिग रहे और उस का दिल पूरी तरह संतुष्ट है तो वह ईमान वाला है। अल्लाह तआला का कथन है :

अनुवाद : "क्या लोग समझते हैं कि उनके इस कौल के बाद कि हम ईमान लेआए उनको यूं ही छोड़ दिया जायेगा और उनको आजमाया न जायेगा, जबकि हमने उन से पहले वालों को भी आजमाया तो अल्लाह सच्चों को भी खूब परख लेगा और झूठों को भी खूब पहचान लेगा।"

सूरः हुजरात की पन्द्रहवीं आयत में इस सच्चाई को बयान किया गया है। इर्शाद होता है :–

अनुवाद :– "ईमान वाले तो वह हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर यक़ीन रखते हैं, फिर वह किसी शक में नहीं पड़ते और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं, वही लोग सच्चे हैं।

ऊपर वाली आयत में बयान किया जा चुका है कि बनूअसद के बद्दू अपने ईमान के दावे के साथ आये थे। उनसे कह दिया गया था कि अभी तुम ईमान वाले नहीं हो।बयान की जा रही आयत में ईमान की तशरीह (व्याख्या) की जा रही है और यहीं से उन बद्दू कबीलों के सामने यह स्पष्ट भी किया जा रहा है कि अगर तुम ईमान चाहते हो तो उस की पहली शर्त यह है कि अल्लाह और उसके रसूल पर पूरा विश्वास हो, उसमें सन्देह न हो और उस की बड़ी अलामत (चिह्न) यह कि माल व जान की कुर्बानी कठिन न रह जाये।

यह बात हर एक आसानी से समझ सकता है कि अगर कोई बड़ा फायदा नज़र के सामने हो तो इंसान के लिए कठिनाईयाँ आसान हो जाती हैं। फायदे का जितना अधिक विश्वास हो जाता है उसी अनुपात में रास्ते की कठिनाईयाँ आसन होती हैं। यही हाल ईमान का है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान जितना जियादा ताकतवर होता है उसके बेहतरीन नताएज (उच्चतम फल) का यक़ीन बढ़ जाता है। फिर आदमी का हाल यह हो जाता है कि उस राह में अपनी जान की भी कोई कीमत नहीं रह जाती।

जान की कीमत दयारे इश्क
में है कुए दोस्त।
उस नवेदे जांफजा से सर
वबाले दोश है।।

हजरात सहाबा की कुर्बानियों का भेद यही था। गजव–ए–उहुद (उहुद की जंग जिसमें रसुलुल्लाह सल्ल0 शामिल थे) के अवसर पर एक सहाबी खुजूरें खाते खाते बेखुद हो कर कहने लगे यह तो लम्बी उम्र हुई खजूरें फेंकीं और बढ़ कर जामे शहादत (शहादत का प्याला) नोश किया अर्थात शहीद हो गये। उन्होंने जन्नत की सुगंध महसूस कर ली। हजरत अली कर्रम अल्लाहु से मन कूल (उद्धृत) है कि अगर जन्नत और दोजख मेरे सामने ले आई जायें तो मेरे विश्वास में बढोतरी न हो। इस यक़ीन का नतीजा यह था कि उन्होंने दुनिया की दशा बदल दी।

वह जहाँ गये वहाँ की दुनिया बदल गयी। ईमान और यकीन की हवाएं चलने लगीं। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फैज प्राप्त किया था। जो उनके साथ रहा वह कुन्दन बन गया। यह ईमान की हकीकत है।

अल्लाह की व्यक्तित्व पर और रसूलुल्लाह के वादों पर विश्वास जितना बढ़ता जाता है दिल की बस्ती आबाद होती जाती है। दिल की बसी हुई बस्ती को संसार की कोई ताकत उजाड़ नहीं सकती। आज मुसलमानों की दुर्दशा का कारण यही है कि दिल की बस्तियाँ उजाड़ हैं। इस में जब तक ईमान व यकीन के चिराग़ नहीं रौशन किये जाएंगे मुसलमानों के लिए इज्ज़त और बुलन्दी प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। मान सम्मान का वादा तो ईमान पर है। मुसलमान करोड़ों नहीं एक अरब से भी अधिक हैं लेकिन दुनिया मे उनका कोई महत्त्व नहीं। इस का कारण ईमान व यक़ीन की कमी बल्कि आमतौर पर उसका अभाव है। नतीजा यह है कि रुपये के लिए ईमान बेचा जा रहा है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस की भविष्यवाणी (पेशिनगोई) फरमाई थी :–

अनुवाद :– "आदमी सुबह मुसलमान होगा शाम को काफिर, शाम को मुसलमान होगा सुबह को काफिर। वह अपने दीन को दुनिया के चन्द टकों के लिए बेच देगा।"

आज यह चीज असलियत बन कर सामने आ रही है। ईमान जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्ल0 पर मजबूत न होगा और संसार के लोभ ही में आदमी पड़ा रहेगा, उस वक्त तक सन्देह व शंका का समाधान बहुत ही कठिन है और इसकी कसौटी यही है कि अल्लाह के रास्ते में जान व माल की कुर्बानी की जब भी जरूरत पेश आए वह हर समय तैयार रहे। ईमान मजबूत हो और कुर्बानी आसान हो जाये तो यह सत्यता का चिह्न है और इन्हीं लोगों को सत्यवादी कहा गया है। सत्यता सच्चाई को कहते हैं। यहाँ केवल जुबान की सच्चाई काफी नहीं है बल्कि कथनी और करनी दोनों की सच्चाई अभीष्ट है। कथन में भी सच्चाई हो और कर्म में भी सच्चाई हो और नीयत में भी सच्चाई हो। सत्यवादी इन लोगों को इसलिए कहा गया है कि वह केवल जबान से मुसलमान नहीं होते बल्कि उन का दिल भी इस की गवाही देता है और दिल से इस को स्वीकार करते हैं। उन की जुबान पर भी वही होता है जो दिल में होता है। वह इसमें न कुछ हेर फेर रखते हैं और न हेर फेर करते हैं।

❑❑

ए0टी0एम0 से पैसे निकालना आसान

उसका नाम, चेक नम्बर और बैंक का पता लिखा जाना चाहिये।

सावधानियाँ :– ए0टी0एम0 से पैसे निकालते समय अपना पिन नम्बर याद करके जाना चाहिये किसी अजनबी आदमी के सामने फीड न करें। पिन याद न होने के कारण कई बार गलत नम्बर मशीन में फीड हो जाता है। ऐसी हालत में मशीन बताती है कि खेद है पिन नम्बर सही नहीं है। सही नम्बर याद करके ही मशीन का प्रयोग करें। कई बार गलत नम्बर फीड करने से कार्ड खराब हो जाता है। कभी कभी तो कार्ड मशीन के अन्दर फंस जाता है। यदि कार्ड बाहर आ भी जाये तो उस दिन सही नम्बर फीड करने पर भी मशीन खेद प्रकट कर देती है। फिर 24 घंटे के बाद ही पैसा निकल सकता है। यदि कार्ड फंस जाये या गलत पैसा निकले तो बैंक से तुरंत सम्पर्क करें।

ए0टी0एम0 का प्रयोग करने के बाद कार्ड वापस लेना न भूलें तथा कैंसिल का बटन अवश्य दबादें क्यों कि चन्द सेकंड तक आप का खाता खुला रहता है,.इस बीच कोई दूसरा आदमी आप के खाते को आपरेट कर सकता है। ऐसी मशीनों में जिस में कार्ड सूप कर के वापस ले लिया जाता है उसमें कार्ड फंसने का खतरा नहीं होता।

(राष्ट्री सहारा उर्दू के सवजन्य से)

❑❑

किस्त 15

हम कैसे पढ़ायें?

शिक्षकों के लिए

चौथा अध्याय

– डॉ. सलामत उल्लाह

विषयों का तालमेल

विषयवार शिक्षण या संयुक्त शिक्षण :– हमने अब तक वह उसूल बताये हैं जिन के तहत पाठ्यक्रम को विभिन्न शाखाओं में क्रमबद्ध करना चाहिये ताकि प्रत्येक शाखा का काम बच्चे के मानसिक विकास के अनुसार हो और वह स्कूल के जीवन में विधिवत जारी रहे। अब यह सवाल उठता है कि जो जानकारी विभिन्न विषयों के रूप में दी जायेगी उसे देने का बेहतरीन तरीका क्या है? क्या प्रत्येक विषय का शिक्षण अलग अलग हो? और अगर नहीं तो फिर उन्हें किस तरह पेश किया जाये कि इच्छित नतीजे प्राप्त हो सकें।

ज्ञानार्जन और ताल मेल :– इस सवाल का जवाब कुछ मुशकिल नहीं अगर हम अपने अनुभव और निरीक्षण (आबज रवेशन) से मदद लें। देखने में आया है कि शिक्षा की लम्बी अवध समाप्त होने के बाद बच्चा उन मालूमात का महज एक छोटा सा हिस्सा याद रखता है जो उसने विद्यार्थी जीवन में बड़ी मेहनत से हासिल किया था। अतः जरूरी है कि हम इस बात पर गौर करें कि वह कौन सी चीजें हैं जो बच्चे को स्थायी रूप से याद रह जाती हैं और जब यह मालूम हो जाये फिर शिक्षा में सिर्फ उन्हीं चीजों पर समय खर्च करें ताकि उन चीजों पर समय और मेहनत व्यर्थ खर्च न की जाये जो जेहन से बहुत जल्द निकल जाती हैं। लेनिक यदि समस्या को ध्यान से देखें तो यह हल ठीक नहीं मालूम होता। इन चीजों के भूल जाने का सिर्फ यही कारण नहीं कि वह अनावश्यक है बल्कि इस से भी बड़ी वजह यह है कि वह एक दूसरे से बिल्कुल जुदागाना और बिना तालमेल के प्रसतुत की जाती हैं, उन्हें जेहन अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता, क्यों कि माइंड की यह विशेषता है कि वह हर नई जीच को किसी पुरानी चीज से सम्बद्ध कर के स्वीकार करता है और कायम रख सकता है। कोई भी नई जानकारी जिसका सम्बन्ध पूर्व ज्ञान से पैदा नहीं किया गया है जेहन का हिस्सा नहीं बन सकती। नई मालूमात चाहे वह किसी विषय से सम्दन्धित हो उतनी ही पक्की और टिकाऊ साबित होगी जितनी अधिक पूर्व ज्ञान से जुड़ी होगी। अगर नई जानकारी का पुरानी जानकारी से तअल्लुक पैदा न किया जाये तो वह कभी मस्तिष्क में रच नहीं सकती। यही मानसिक पूंजी का एक हिससा सिर्फ इस सूरत में बन सकती है जब कि उसका सम्बन्ध उसी प्रकार की चीजों से हो जो माइंड में पहले से मौजूद हैं, वह उसी विषय से सम्बन्धित हों या किसी दूसरे से।

एसोसियेट करने की विधि की मनोवैज्ञानिक बुनियाद :– इस युग में जब कि मनोविज्ञान–शिक्षा इतनी विकसित हो गयी है, विभिन्न विषयों को अलग अलग खानों में बन्द करना एक हास्यास्पद बात मालूम होती है। अब से (1946) कुछ साल पहले तक शिक्षक यह कहते थे कि माइंड शक्तियों व क्षमताओं के अनुसार विभिन्न विभागों में बंटा हुआ है मानो माइंडको कबूतर के काबुक की तरह समझाा जाता था जिस के अलग अलग खानों में विभिन्न शक्तियाँ बन्द हैं, कोई खाना तर्क शक्ति का है तो कोई कल्पना शक्ति अथवा निरीक्षण शक्ति का। इसका फल यह होता कि हर विषय विभिन्न शक्तियों के विकास के लिये अलग अलग पढ़ाये जाते थे। अतः प्राथमिक विद्यालयों तक में विषय वार शिक्षण विधि व्यवहार में लायी जाती थी विषयों के इस बनावटी विभाजन ने इस दर्जे हास्यास्पद रूप धारण कर लिया था कि भाषा के दो हिस्से निबन्ध लेखन तथा व्याकरण जुदागाना हैसियत रखते थे। भूगोल और इतिहास का हिसाब और बीजगणित के निकट वर्ती सम्बन्ध की अनदेखी की जाती थी। इसी कार्यविधि का यह नतीजा था कि बच्चे गणित के प्रश्न बीजगणित से निकालते हुए हिकिचाते थे,

शेष पृष्ठ 9

समाज सुधार : एक प्रबल चुनौती

मु0 सलमान

समाज राष्ट्र की वह इकाई है जिसके अभाव में किसी भी राष्ट्र अथवा देश की कल्पना व्यर्थ है। समाज भी ऐसा हो जो सभ्य, सुसंस्कृत, सुदृढ़ एवं शिक्षित हो। किसी भी समाज में यदि ये विशेषताएं पायी जाती हैं तो वह समाज एक आंदर्श समाज कहलाने योग्य हो जाता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति होता है। समाज एक दीवार की भाँति है जिसकी हर ईंट दृढ़ एवं सुडौल होनी अनिवार्य है। अन्यथा पूरी दीवार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि समाज का एक व्यक्ति भी दुष्ट एवं कटु व्यवहार वाला, छल एवं कपट से युक्त, भ्रष्टाचारी, लोभी, एवं बुरी प्रवृत्ति वाला है तो वह सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करने वाला है। वह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक मछली सम्पूर्ण तालाब को गन्दा कर देती है इसी प्रकार बुरी प्रवृत्ति वाला एक व्यक्ति सम्पूर्ण समाज को दूषित एवं गन्दा कर देता है। हर व्यक्ति का आचरण समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो समाज की शान्ति एवं मर्यादा को हानि पहुंचाने वाला हे तो स्वयं समाज उसको स्वीकार नहीं करता। आवश्यक्ता इस बात की है कि समाज पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं सभ्य तथा सुसंगठित हो जिसमें अनावश्यक कार्य के लिए कोई स्थान न हो।

परन्तु ऐसा देखा जाता है कि यदि समाज में एक बुराई स्थान पा लेती है तो वह स्थाई होती चली जाती है इसका मुख्य कारण यह है कि समाज अत्यन्त संवेदनशील होता है। वह किसी भी नयी नीति, चकित एवं भ्रमित कर देने वाली तथा आकर्षित करने वाली वस्तु से क्षण भर में प्रभावित हो जाता है। यद्यपि उसी समाज के कुछ विवेकशील, दूरदर्शी, एवं अनुभवी व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करते परन्तु नयी विचार–धाराओं में बहने वाली नयी पीढ़ी अपनी अल्प बुद्धि एवं ढीठता का परिचय देते हुए उसे समाज का अंग बनाने हेतु प्रतिपल प्रयास रत रहती है। अन्त में यह समाज का एक अंग बन कर उभरती है। परिणाम यह होता है कि धीरे–धीरे जो कार्य एवं जो बातें समाज की आधार शिला होती हैं एक समय ऐसा आता है कि वे स्वयं का अस्तित्व खोजती प्रतीत होती हैं।

यदि वर्तमान परिस्थिति की समीक्षा की जाए तो सबसे पहले जो चुनौती हमारे सामने आती है वह पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का कुप्रकोप है जो इस भारत वर्ष की महान संस्कृति को दीमक की तरह नष्ट कर रहा है। परिणाम स्वरूप देश का प्रत्येक नागरिक इस प्रतीक्षा में रहता है कि कब कोई नया कार्य उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए और वह उसे स्वीकार करे। हर नयी धारणा एवं प्रवृत्ति को स्वीकार करते–करते उसकी आत्मा अत्यन्त डावां डोल हो गयी हैं वह नित दिन अपने शरीर की रूपरेखा एवं दशा में नवीनता देखना चाहता है। इन सब कुकृतियों एवं दुर्व्यवहारों के कारण उसकी इन्द्रियाँ मृत हो चुकी हैं। उसे स्वयं ही पर नियन्त्रण नहीं रहा तो उससे समाज के विकास में योगदान की आशा व्यर्थ है।

अतः वर्तमान समय में एक सुन्दर समाज एवं राष्ट्र–निर्माण हमारे लिए प्रथम एवं प्रबल चुनौती है, जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ एवं जो बुराइयाँ हैं, हम उन्हें सामने नहीं लाते एवं उनसे आंखें चुराते हैं।

शेष पृष्ठ 40

ए0टी0एम0 से पैसे निकालना आसान

हबीबुल्लाह आज़मी

ए0टी0एम0 एक मशीन है। इसको कैश मशीन। ए0टी0एम0 का अर्थ है आटोमेटिक टेलर मशीन। इस मशीन द्वारा हम अपने बैंक खाते से 24 घंटे में कभी पैसा निकाल सकते हैं। पहले बैंक से चेक द्वारा या पैसा निकालने के फार्म को भर कर बैंक काऊंटर पर देना पड़ता था तब सम्बन्धित बाबू पैसा देता था। इस प्रक्रिया में लम्बी लाई न लगती थी और काफी समय बरबाद होता था लेकिन अब बैंकों ने आपने खाते से पैसा निकालने के लिए जगह जगह ए0टी0एम0 मशीन लगा रखी है जिससे खातेदारों को किसी समय भी पैसा निकालने की आसनी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब बैंक काऊंटर से पैसा नहीं कैश किया जाता। अब भी यह सुविधा पूर्वत उपलब्ध है। ए0टी0एम0 के जगह जगह लगने से अब बैंक काऊंटर पर भीड़ कम हो गई है। ए0टी0एम0 सुविधा के लिए बैंक अपने खातादारों को एक ए0टी0एम0 कमडेबिट कार्ड देता है जिस पर मैगनेटिक चिप लगी होती है। इस में कार्ड नम्बर और कुछ सुरक्षित जानकारी होती है। इस के प्रयोग के लिए एक पिन कोड नम्बर देता है। इस नम्बर को हम मशीन में अंकित कर के ए0टी0एम0 कार्ड द्वारा अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं।

सबसे पहले न्यूयार्क सिटी बैंक ने मेकेनीकल कैश डिसपेंसर मशीन 1939 में लगवाई थी परन्तु लोगों ने इस का प्रयोग किया ही नहीं। निराश होकर बैंक ने यह मशीन छः महने में ही हटादी। 25 वर्ष बाद 1967 में बार्कलीनर बैंक ने उत्तरी लन्दन में पहली एलेकट्रानिक ए0टी0एम0 मशीन लगाई जिसे जान शफर डेबीरून ने बनाया था। इसमें बाऊचर या टोकेन डाले जाते थे जो केवल एक बार प्रयोग किये जा सकते थे। उस समय पिन कार्ड की कोई सुविधा नहीं थी। इस के एक वर्ष बाद डेलास टेक्साय में ए0टी0एम0 की शुरूआत हुई और धीरे धीरे दूसरे देशों में भी यह मशीन पहुंचने लगी। यह मशीन दो प्रकार की होती है। एक टच सिस्टम से काम करती है दूसरी बटन दबाने से काम करती है।

ए0टी0एम0 मशीन का इस्तेमाल आसान है। सबसे पहले मशीन में अपना कार्ड डालिये। सामने कम्पूयटर पर हिन्दी या इंगलिश के आपशन में कोई एक का बटन दबाइये इसके बाद खाते का प्रकार अर्थात सेविंग/करेंट जिस प्रकार का आपका खाता है उसके अनुसार बटन दबाइये या टच कर दीजिये टचसिस्टम में टच करना होगा। इसके बाद कम्पूयटर आपसे पूछेगा कि आप को क्या मदद चाहिये वह सब मदद कम्पूयटर पर आजाएगी जैसे पैसा निकालना है, बैलेंस जानना है या आपको सिलिप चाहिये जो चीज चाहिये उसके अनुसार उपरोक्त तरीके मशीन को आपरेट कीजिये। यदि पैसे निकालना है तो ड्रा का बटन दबाईये टच कीजिये। कम्पूयटर पूछेगा कितनी रकम निकालना है। आप रु0 (Rs.) के सामने खाली जगह पर रकम भर दीजिये। कम्पूयटर फिर पूछेगा क्या आप को निकालने की पर्ची भी चाहिये। अगर चाहें तो हाँ आपशन को चुनिये। थोड़ी देर बाद पैसे के साथ सिलिप भी बाहर आ जाएगी। यह पैसा निकालने का ढंग है। पैसा निकलते ही तुरंत पैसा मशीन से खींच लीजिये देर होन पर पैसा वापस मशीन में चला जाएगा कैश या चेक जमा करने के लिए भी ए0टी0एम0 का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ खाली लिफाफे रखे होते हैं जिन में चेक या कैश डाल कर साथ में जमा पर्ची भर कर मशीन या वहाँ रखे ड्राप बाकस में उन्हें जमा करवाया जा सकता है। जमा पर्ची में खाता नम्बर नाम पता और जितनी रकम जमा करनी है यह विवरण सावधानी से भरना जरूरी होता है। अगर चेक जमा कर रहे हों तो जिस बैंक का वह चेक है

शेष पृष्ठ 16

पहली क़िस्त

नवाबी अवध

शमीम एक़बाल ख़ाँ

एक साहब किसी होटल में ठहरे हुये थे, उन्होंने बैरे को बुलाने के लिये घन्टी का बटन दबाया, बैरे के न आने पर उन्होंने दुबारा घन्टी बजाई फिर भी बैरा नहीं आया, उन्हें फ़िक्र हुई कि बैरा क्यों नहीं आ रहा है लिहाजा वह उसे देखने के लिये स्वयं कमरे में गये, अन्दर का हाल देख कर वह चकित रह गये क्योंकि दोनों बैरे एक दूसरे से पहले आप–पहले आप की तकरार लगाये हुये थे, यह एक लतीफा है और उस लतीफे से प्रभावित है कि दो नवाब स्टेशन पर एक दूसरे से ट्रेन पर चढ़ने के लिये पहले आप–पहले आप कहते रह गये थे और ट्रेन उन दोनों को छोड़ कर चली गई थी।

यह एक लतीफा भी हो सकता है और वास्तविकता भी हो सकती है, यदि इसे वास्तविकता समझी जाये तो यह शिष्टाचार एक दूसरे को सम्मान देने के लिये ही था लखनवी सभ्यता में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि बोल–चाल में कोई ऐसा शब्द न निकले कि सुनने वाले को खराब लगे या उसके सम्मान को किसी भी तरह का ठेस पहुंचें, अन्य भाषा या सभ्यताओं में सम्बोधित करने वाले शब्द 'तुम' अथवा 'तू' का ही प्रयोग किया जाता है परन्तु लखनवी सभ्यता में सम्बोधक के रुप में शब्द 'आप' का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी सम्मान देने वाले बहुत से शब्द जैसे जनाब, जनाबे–आली, हुजूर, हुजूरे–वाला बन्दापरवर, मोहतरम आदि, अपने लिये प्रयोग किये जाने वाले शब्द इस प्रकार के हुआ करते थे कि सामने वाले का व्यक्तित्त्व किसी प्रकार से धूमिल न होने पाये, जैसे वाक्य 'मैं आप से यह कहना चाहता हूँ' को इस प्रकार से कहा जायेगा 'खाकसार आप से यह अर्ज करना चाहता है', किसी भी व्यक्ति की शिष्टता एवं योग्यता का अनुमान उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों से लगाया जा सकता है। इसी लिये लखनवी सभ्यता में लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले जो उसे सभ्यता के दायरे से बाहर कर दे।

देवरिया के एक ठाकुर साहब बताने लगे कि मौलवी गंज में एक लड़का मेरी सायकिल से टकरा गया मैं अभी सोच ही रहा था कि इस बच्चे से क्या कहूं उसने मेरी ओर देखा और मेरी उमर का खयाल किये बिना एक भद्दी सी गाली दी और भागता हुआ चला गया। मुझे बड़ा ख़राब लगा। क्या यही लखनऊ की तहजीब है, अचानक मुझे खयाल आया कि उस बच्चे ने गाली से पहले मेरे लिये शब्द 'आप' का प्रयोग किया था। मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि लखनऊ अपनी तहजीब से बिल्कुल दीवालिया नहीं हुआ है वरना यहाँ आपसी लड़ाई–झगड़े भी सभ्यता के दायरे में हुआ करते थे। लखनऊ के दो शरीफ लोग आपस में कुछ इस प्रकार लड़ रहे थे –

पहला व्यक्ति – मैं आप को बड़ा शरीफ आदमी समझता था।

दूसरा व्यक्ति – मैं भी आप को शरीफ आदमी समझता था।

पहला – माफ़ कीजियेगा, आप सहीह समझ रहे थे मैं ही गलती पर था।

जीं हाँ नवाबों का शहर यानी लखनऊ नवाब आसिफुद्दौला का लखनऊ, वाजिद अली शाह का लखनऊ राजा झाऊ लाल का लखनऊ स्वतंत्रता संग्राम के वीरों का लखनऊ, शिष्टता व सभ्यता का लखनऊ आपसी भाई चारे का लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यह वह लखनऊ है जहाँ एक दफ़ा कोई आ गया और यहाँ कुछ दिन रह गया तो वह यहीं का हो कर रह जाता है। लखनऊ का

रहने वाला घूम–फिर कर अन्त में इसी सर ज़मीन पर आना चाहता है इस सम्बन्ध में **नौबत राय 'नज़र'** का बहुत मशहूर शेर है –

लखनऊ हम पर फ़िदा हम फ़िदाये लखनऊ
क्या है ताकत आसमाँ की जो छुड़ाये लखनऊ

मैं लखनऊ का मूल निवासी नहीं हूं वर्ष 1972 में यहाँ मुलाजमत के सिलसिले में आया था और तभी से यहाँ रह रहा हूं और शायद अब यहीं का हो कर रह गया हूं लखनऊ के बारे में, यहाँ के शाहों के बारे में, यहाँ के निर्माण कार्यों के बारे में जानने की इच्छा हुई। कुछ बातें लोगों से सुनी तो उसकी सत्यता की पुष्टि के लिये किताबें तलाश कीं और उन्हें पढ़ कर जिज्ञासा को शान्त किया। लोगो की एक आम धारणा है कि अवध के सभी नवाब ऐश–परस्त थे। इसी कारण राज्य की रक्षा नहीं कर पाये। नतीजा यह हुआ कि अवध की हुकूमत अंग्रेजों के पास चली गई। लखनऊ एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ का कण–कण अपनी भाषा में कुछ कहना चाहता है आवश्यकता है उसके समझने की। यहाँ की मिट्टी से सभी को प्यार है क्यों कि इससे आपसी भाई–चारे की खुशबू आती है। इस खुशबू को महसूस तो सभी करते हैं परन्तु कुछ लोग किन्हीं कारणोवंश इसे कहने में हिचकिचाते हैं। लखनऊ यहाँ के नवाबों और उनके निर्माण कार्यों के बारे में मैंने जो पढ़ा उसी को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है।

अवध और अयोध्या

किसी क्षेत्र के महत्त्व का अनुमान उसकी ऐतिहासिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से लगाया जाता है। प्राचीन काल से ही अवध का अपना एक महत्त्व रहा है और आज भी यह विशेषता बाकी है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अवध का विशेष स्थान है। यहाँ सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रभाव देश के अन्य क्षेत्रों पर पड़ता रहा है।

प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक से एक वीर योद्धा होते थे यही कारण था कि यहाँ के वीरों को पराजित करना तो दूर की बात मात्र युद्ध करना ही अन्य क्षेत्र के लोगों के बस की बात नहीं थी इस लिये इस क्षेत्र को **अयोध्या** कहा जाता था। **अयोध्या** को ही बाद में **अवध** के नाम से पुकारा जाने लगा। अवध का शाब्दिक अर्थ (अ+वध अर्थात् वध न करना) भी आयेध्या के शाब्दिक अर्थ के समान हैं। लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत का मध्य भाग चार राज्यों कौशल, काशी, मगध तथा विन्ध्य पर आधारित था। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कहते हैं राम चन्द्र जी इसी वंश के थे। राजा मनु से सत्तावनवीं सन्तान राम चन्द्र जी का जन्म हुआ और राजा सुमित्रा पे यह सिलसिला समाप्त हुआ। राम चन्द्र जी के युग की अयोध्या की सुन्दरता का वर्णन पवित्र पुस्तक रामायण में मिलता है। उस समय अयोध्या का क्षेत्र 12 जोजन अर्थात् 48 कोस तक फैला हुआ था जबकि मौजूदा आयोध्या मात्र 6 मील के क्षेत्र में है।

कौशल वंश की 158 पीढ़ी ने अयोध्या पर शासन किया। जैन धर्म वालों का भी तीर्थ स्थल यहाँ पर है और मुसलमानों के भी पवित्र स्थान हैं क्योंकि यहाँ तीन पैगम्बरों–हजरत नूह, हजरत शीस और हजतर अय्युब (अ0स0) के मजार हैं। (यह गलत मशहूर है यह कबरें सैय्यद सालार मसऊद गाजी के साथी मुजाहिदीन की है, उनके यही नाम होंगे (सम्पादक)) अवध की राजनैतिक स्थिरता तथा उन्नति का कार्य महाराजा चन्द्रगुप्त मौर्य (सन् 7 ई0) के राज्य तक चलता रहा। इसके बाद सम्भवतः आपसी मतभेद तथा राजनैतिक उतार चढ़ाव एवं अस्थिरता के कारण चन्द्रगुप्त मौर्य के बाद से अर्थात् सातवीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक का इतिहास मिल नहीं पा रहा है।

दसवीं शताब्दी से मुसलमानों का आगमन शुरु हुआ और सबसे पहले सैय्यद सालार मसऊद यहाँ पहुंचे तभी से इस क्षेत्र में राजनैतिक उथल–पुथल में ठहराव आया। कुछ समय पश्चात अयोध्या दिल्ली की केन्द्रीय शासन का एक भाग बन गया। हुकूमत दिल्ली में होती थी और राज्यों में प्रबन्ध का कार्य सुबेदार के सुपुद्र रहता था

दिल्ली में हुकूमतों के बदलते ही राज्यों के सूबेदार भी परिवर्तित कर दिये जाते थे। तैमूर के समय में यहाँ के सूबेदार ने (सम्भवतः ख्वाजा जहान) ने अपनी बादशाहत का एलान किया तथा जौनपुर को राजधानी बनाया इसमें अवध का इलाका भी शामिल था।

अवध के सूबेदार सआदत खॉ के समय में सइ सूबे में खैराबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, बहराइच और लखनऊ जनपद सम्मिलित थे। डाक्टर आशिर्वादी लाल श्रीवास्तव इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बताते हुये कहते हैं कि उत्तर में हिमालय पूरब में बिहार, दक्षिण में मानिकपुर तथा पश्चिम में कन्नौज तक लगभग 62700 वर्गमील में फैला हुआ था।

लखनऊ

लखनऊ कब से आबाद होना आरम्भ हुआ इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। कहा जाता है कि महाराजा युधिष्ठिर के पोते राजा जनमजै ने यह क्षेत्र तपस्वियों, ऋषियों एवं मुनियों को दे दिया था जिन्होने जगह–जगह यहाँ पर अपने आश्रम बनाये और पूजा अर्चना एवं तपस्या में लग गये। बहुत समय पश्चात् इनको कमजोर देख कर हिमालय की तराई की दो जातियाँ एक भड़ तथा दूसरी पासी, ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और आंतक फैलाये हुये थे। इन्हीं लोंगों से सन् 1030 ई. में सैय्यद सालार मसऊद ग़ाजी से युद्ध हुआ था और सम्भवतः सन् 1202 ई. में इन्हीं पर बख्तियार ख़िल्जी ने चढ़ाई की थी। यहाँ पर जो मुसलमान आबाद हुये इन्हीं दोनो विशेषकर सैय्यद सालार मसूद के साथ आने वालों में से थे।

भड़ और पासियों के अतिरिक्त यहाँ कायस्थ और ब्रह्मण भी पहले से बसे हुये थे। इन सभी ने मिल कर एक छोटा सा नगर बसा लिया और शान्तपूर्वक रहने लगे। इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि इस शहर को लखनऊ कब से कहा जा रहा है।

प्राचीन काल में यहाँ आने वालों में शाह मीना शाह और उनका परिवार भी था उन के मजार शरीफ का स्थान किंग जार्ज मेडिकल कालेज से मिला हुआ है। इस शहर को उनके नाम से सम्बद्ध करके काफी दिनों तक 'मीना नगरी' कहा जाता रहा है।

महमूद गजनवी पहले शासक थे जिन्होने लखनऊको (सन् 1018 ई. में) अधीन करके यहाँ की व्यवस्था देखने के लिये सैय्यद सालार साहू को नियुक्त किया था। सैय्यद सालार साहू, सैय्यद सालार मसऊद गाजी के पिता थे।

स्म्भवतः इसी जमाने में आने वालों में शाह पीर मोहम्मद भी थे जो एक टीले पर बसे और वहीं उनकी अन्तिम आरामगाह बनी। शाह पीर मोहम्मद के निवास के कारण वह टीला अब शाह पीर मोहम्मद का टीला कहा जाने लगा।

टकसाल

शहंशाह अकबर के समय से **'लखनऊ'** नाम प्रकाश में आया लेकिन यह अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हिन्दू–मुसलमान की काफी आबादी यहाँ पहले से मौजूद थी। सन् 1590 ई0 में शहंशाह अकबर ने भारत को 12 सूबों में विभाजित किया था। इसमें एक सूबा अवध भी बना था और अवध के सूबेदार ने आगे चल कर लखनऊ को अपना मुख्यालय बनाया।

अकबर से पहले शेरशाह सूरी ने लखनऊ में ताँबे क सिक्के ढालने का टकसाल स्थापित किया था जिसे अकबर ने अपने समय में यथावत बनाये रखा यह स्थान चौक क्षेत्र में स्थित था जो मोहल्ला टकसाल के नाम से अभी भी प्रसिद्ध है और मौजूद है।

इसी जमाने में जिला बिजनौर के एक निर्धन बुजुर्ग शेख अब्दुर्रहीम रोज़ी–रोटी की तलाश में देहली पहुंचे। अपनी योग्यता और व्यवहार से दरबारियों में अपना स्थान बनाया और बादशाह अकबर तक पहुंचने में कामयाब हुये इसलिये शाही मन्सबदारों में शामिल कर लिये गये और उन्हें लखनऊ में जागीर मिली और वह यहाँ आकर बस गये।

शेष पृष्ठ 31

सामाजिक

इस्लाम में विवाह

-इदारा

इस जगत में हर मनुष्य की तीन मौलिक आवश्यकताएं हैं खाना, रहना तथा सन्तान पैदा करना, खाने में जीविका उपारजन की समस्त बातें आ जाती हैं, खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना, आदि, क्या खाएं और उसे कैसे प्राप्त करें हलाल, हराम (वैध, अवैध) सब का सम्बन्ध इसी से है, रहना में कहाँ रहें क्या पहनें, इन सब चीज़ों में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो सब की प्राप्ति से सम्बन्धित बातें इस में आती हैं। सन्तानोत्पत्ति की आवश्यकता हर जीव धारी में प्राकृतिक है और विधाता ने उसकी व्यवस्था इस प्रकार की है कि हर जीव में संयोग स्वाद द्वारा प्रबल काम इच्छा रख दी है जिसकी पूर्ति तथा प्राप्त के लिये हर जीव अन्तिम सीमा तक चेष्ठा करता है। परन्तु मनुष्यों ने मालिक की दी हुई बुद्धि से अपने समाज को शान्ति मय रखने के लिये विवाह की व्यवस्था की और उसके नियम बनाए।

इस्लाम ने आख़िरत की ज़िन्दगी (पारिलोकिक जीवन) को मूल बताते हुए मनुष्य की इन तीनों मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था उत्तम तथा उच्चतम ढंग से की है। इन पक्तियों में हम तीसरी मौलिक आवश्यकता के उत्तम साधन विवाह पर कुछ लिखेंगे।

इस्लाम ने इस प्राकृतिक आनन्दित काम इच्छा को रोक कर सन्यास का आदेश नहीं दिया है कि यह तो मानव हत्या का साधन है और यदि समस्त मानव इसी वृत्ति के हो जाएं तो थोड़े ही दिनों में यह धरती आदम की सन्तान से ख़ाली हो जाए परन्तु यह भी स्मरणीय है कि समस्त मानव इस वृत्ति के हो नहीं सकते इस लिये कि विधाता चाहता है कि मानव जगत बाक़ी रहे अतः उसने इस की व्यवस्था इस प्रकार की :—

ऐ मन्ष्यो! वह (विधाता) वही है जिस ने तुमको (अर्थात दादा आदम को) एक जीव से जीवन दिया और उसी एक जीव धारी (आदम) से उसकी पत्नी (दादी हव्वा) को बनाया ताकि उसकी ओर प्रवृत्ति होकर शान्ति प्राप्त करे। (अअ़राफ़ : 189)

और उसकी निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारी ही जिंस (जाति) से पत्नियां बनाईं ताकि तुम उनसे आनन्द प्राप्त करो और तुम्हारे बीच प्रेम तथा करूणा का भाव उत्पन्न कर दिया, इस में सोच विचार करने वालों के लिये (विधाता को पहचानने की) निशानियाँ हैं। (रूम : 20)

तात्पर्य यह कि पुरुष की काम प्रवृत्ति स्त्री की ओर तथा स्त्री की काम प्रवृत्ति पुरुष की ओर होना स्वाभाविक है। इस्लाम ने इस को रोका नहीं अपितु इस की पुष्टि की है अलबत्ता इसको नियमित कर के समाज को स्वक्ष,पवित्र तथा शांतिमय बना दिया क्यों न हो "क्या (मानव प्रवृत्ति को) वह न जानेगा जिसने उसको अस्तित्व दिया।" (67:14)

मनुष्य की काम इच्छा की पूर्ति तथा संतानोत्पत्ति के लिये इस्लाम ने निकाह का प्रतिबन्ध लगाया, ऐसा नहीं कि पशुओं की भाँति जिस स्त्री से जहाँ चाहा जब चाहा सम्बन्ध स्थापित कर लिया। निकाह के विस्तृत नियम दिये, बताया —

(निकाह के लिये) हराम (अवैध) की गईं तुम पर तुम्हारी मातएं, तुम्हारी बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, ख़ालाएं (मौसियाँ), भाई की बेटियाँ, (भतीजियाँ) बहिन की बेटियाँ (भाँजियाँ) वह स्त्रियाँ जिनका तुमने दूध पिया (दूध के सम्बन्ध की मातएं) तथा उनकी बेटियाँ (दूध में सम्मिलित बहनें) पत्नियों की माताएं (सास)

तुम्हारी पत्नियों की वह बेटियाँ जो तुमसे पहले वाले पति से लेकर आई हों जब कि तुमने निकाह के पश्चात उन पत्नियों से सहवास कर लिया हो परन्तु यदि केवल निकाह हुआ हो और तुम ने उनसे सहवास न किया हो कि अलगाव हो गया हो तो उनकी पूर्व पति से लाई बेटिया हराम नहीं हैं। तुम्हारी पीठ से पैदा तुम्हारे बेटों की बीवियाँ भी तुम पर हराम हैं। दो बहनों का एक साथ पत्नी बनाना भी हराम है। अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला बड़ा दयालू है। (अन्निसा : 23)

यहाँ जिन स्त्रियों को हराम कहा गया है उनकी बेटियाँ, बेटियों की बेटियाँ अर्थात नवासियाँ आदि भी हराम हैं। अगली आयत में बताया कि जो स्त्रियाँ किसी के निकाह में है वह भी हराम हैं। हराम होने का अर्थ यह है कि उनसे निकाह वर्जित है।

इस्लाम ने स्वतंत्र काम वासना पर सम्पूर्ण नियंत्रण किया है आदेश दिया : व्यभिचार के निकट भी न जाओ। (बनी इस्राईल : 32) तथा स्वतंत्र कामी, व्यभिचारी के लिये इतना कठोर दण्ड रखा है कि कोई स्वतंत्र संभोग की कल्पना भी न कर सके।

इस्लामिक विधान अपनी सृष्टि से पूर्णतया परिचित विधाता का बनया हुआ है अतः उसने अपने बन्दों को स्वतंत्र कामवासना से बचाव के लिये पर्दा अनिवार्य किया और अपने नबी को आदेश दिया कि–

ईमान वालों से कह दीजिये कि वह अपनी निगाहों को बचा कर रखें और अपने गुप्तगों की रक्षा करें, यह उनके लिये अधिक अच्छी बात है, अल्लाह को उस सबकी पूरी ख़बर रहती है जिस को वह किया करते हैं। (अन्नूर : 30)

ईमान वालियों से कह दीजिये कि वह अपनी निगाहें नीची रखें (अकारण पुरुषों को न घूरें) अपने गुप्तागों की रक्षा करें (व्यभिचार से दूर रहें) अपने श्रृंगार को छुपाएं सिवाए इसके जो स्वतः दिख जाए अपने सीनों को ओढ़नियों से ढांके रखें, अपनी शोभा न दिखाएं सिवाए अपने पति के या अपने पिता के या पति के पिता (ससुर) के, या अपने बेटों के या अपने पति के बेटों (सौतेले बेटों) के या अपने भाइयों के या भाई के बेटों (भतीजों) के या बहन के बेटों (भांजों) के या अपनी जैसी सित्रयों के या अपनी बांदियों के, या ऐसे सेवकों के जिन में काम इच्छा ना (रह गई) हो या उन बालकों के जो अभी स्त्रियों के गुप्तगों (से आनन्दित होने) से अवगत न हों (इन सब के अतिरिक्त किसी के समक्ष अपनी शोभा प्रकट ना करें) और (गहने पहने) पैरों को (धरती) पर धमक कर न रखें कि जिस से छुपी वस्तु जान ली जाए (कि कोई युवती चल रही है) और तुम सब अल्लाह से (अपनी भूल चूक पर) क्षमा मांगो ताकि सफल हो जाओ। (अन्नुर : 31)

पुरुष तथा स्त्री के वह सम्बन्ध (रिश्ते) जिन के कारण परस्पर पर्दा नहीं, ना ही उनमें निकाह का सम्बन्ध हो सकता इस नाते वाले परस्पर ''महरम'' कहलाते हैं, ''महरम'' एक परिभाषा है जिसका अर्थ है वह जिससे पर्दा नहीं ना ही उससे कभी निकाह हो सकता है। इन रिश्तों में पति भी आता है जो पहले महरम न था (अर्थात ना महरम था) परन्तु निकाह से उस की परिस्थिति बदल गई। पत्नी के साथ उसकी बहन को जो निकाह में एकत्र करने से रोका गया है तो पत्नी की बहन (साली) भी महरम नहीं है, इसी प्रकार पत्नी की माँ के अतिरिक्त उसकी फूफी, मौसी आदि भी महरम नहीं हैं। इस लिये कि पत्नी को तलाक़ हो जाए तो उसकी इद्दत पूरी होने पर या पत्नी की मृत्यु पर उसकी बहन या फूफी या मौसी से निकाह वैध है। परन्तु उसकी दादी नानी महरम है।

जिन स्त्रियों से निकाह अवैध बताया गया है सभी लोग उसका पूरा ध्यान रखते है परन्तु दुःख होता है यह देखकर कि जिन से पर्दे का आदेश दिया गया अधिकांश लोग उनसे पर्दा नहीं करते जब कि नामहरमों से पर्दा न करने की गिन्ती बड़े पापों में है। जिन लोगों

ने आदत से या किसी और विवशता से पर्दे को छोड़ रखा हे उनको चाहिये कि कम से कम इतना तो करें कि नामहरम के सामने स्त्री अपना पूरा शरीर ढके, बालों को इस प्रकार ओढ़नी या स्कार्फ में बन्द करे कि एक बाल भी न दिखे फिर आवश्यकता है तो गट्टे पर से दोनों हाथ तथा मुखड़ा खोल सकती हैं, परन्तु कोई स्त्री किसी नामहरम पुरुष के साथ एकान्त में न हो यहाँ यह याद रहे कि अनवेषणातमक बात (तहक़ीक़ी बात) यही है कि मुखड़े का भी पर्दा है परन्तु पर्दा न करने वाले उक्त पर्दा कर लें तो आशा है उनको क्षमा मिल जाएगी।

निकाह एक इबादत (उपासना) है, अल्लाह तआला ने आदेश दिया : तुम (ना महरमों में से) अपनी रुचि की स्त्रियों से निकाह कर लो (आवश्यकतानुसार) दो से या तीन से या चार से (चार से अधिक नहीं, और उनमें शरअ़ी न्याय अनिवार्य होगा) परन्तु यदि तुमको भय हो कि (शरअ़ी) न्याय न कर सकोगे तो केवल एक से निकाह करो। (अन्निसा : 3)

अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने जवानों को सम्बोधित करते हुए आदेश दिया : ऐ युवा जनों! तुम में से जो पौरुष शक्ति, (मर्दाना कुव्वत) रखता हो उसको चाहिये कि वह निकाह करे कि निकाह निगाह की सुरक्षा करता है तथा गुप्तांगों को (व्यभिचर पाप) से बचाता है। (बुख़ारी)

अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने सूचित किया कि "निकाह मेरी सुन्नत (पद्धति) है जो मेरी सुन्नत से विमुख हुआ वह मेरा नहीं रहा। (तिर्मिज़ी) और सूचित किया कि "जब बन्दे ने निकाह कर लिया तो निःसन्देह उसने आधा दीन पूरा कर लिया अब वह शेष आधे में अल्लाह से डरे (अर्थात अल्लाह की अवज्ञा से बचे) (मुस्लिम)

जब निकाह एक इबादत (उपासना) है तो जिस प्रकार वुज़ू में, नमाज़ में, रोज़े में, ज़कात देने में, हज्ज करने में हमको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने जैसे इन इबादतों के करने की विधि बताई है उसी ढंग से करते हैं, ऐसे ही निकाह में हमको अपनी ओर से कुछ न मिलाना चाहिये।

निकाह में पहली बात लड़की लड़के का चयन है इस सिलसिले में लोग बड़ी भूल करते हैं –

अबू हातिम मुज़नी से रिवायत है आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि कोई शख़्स (तुम्हारी अ़ज़ीज़ा को) पैग़ाम दे और तुम उसके दीन व अख़लाक़ से मुतमइन (सन्तुष्ट) हो तो उससे (अपनी अ़ज़ीज़ा का) निकाह कर दो अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन पर बड़ा फ़ित्ना व फ़साद (उपद्रव) पैदा होगा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अगर उसमें कुछ हो (अर्थात दूसरी हैसीयत से कुछ कमी हो? अर्थात ग़रीब हो, रूपवान न हो आदि) फ़रमाया अगर वह आया और दीन व अख़्लाक़ में वह तुमको पसन्द है तो उससे निकाह कर दो, तीन बार ऐसा ही कहा। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद) तातपर्य यह कि यदि तुम ने दीनदार और अच्छे स्वभाव का लड़का पाते हुए उसकी ग़रीबी के सबब उससे निकाह न करोगे तो एक तो समाज में यह सन्देश जाएगा कि निर्धन से निकाह न करना चाहिये, इस प्रकार जवान लड़कियों और जवान लड़कों की शादी में जब अधिक देर होगी तो निःसन्देह समाज में उपद्रव होगा। अतः लड़के के चयन में आयु की समानता,माता पिता के शुद्ध होने की समानता जैसी सभी आवश्यक बातों को भली भांति देखना चाहिये परन्तु प्राथमिकता दीन तथा सचरित्रता (हुस्ने अख़लाक़) को देना चाहिये, दीनदारी के मुक़ालबले में दूसरी कमियों को सम्भव हो तो नज़र अन्दाज़ (अनदेखी) कर देना चाहिये और याद रखना चाहिये कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि0) धनवान मुहाजिर क़ुरैशी ने अपनी बहन का निकाह बिलाल हबशी (रज़ि0) से कर दिया था। परन्तु

इस विषय में लड़की की रज़ामन्दी आवश्यक है।

यही नियम लड़की के चयन में अपनाना चाहिये अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया –

स्त्रियों से केवल उनका रूप तथा सुन्दरता देख कर उनसे निकाह़ मत करो, सम्भव है (दीन न होने के कारण) उनका रूप उनको किसी बुराई की ओर लौटा दे। केवल उनका धन देख कर भी उनसे निकाह़ मत करो सम्भव है (दीन न होने के कारण) उनका धन उन को (हानि पहुंचाने वाला) घमन्डी बनादें अपितु निकाह़ करो दीनदार स्त्री से (चाहे वह गोरी हो, अथवा काली, चाहे निर्धन अथवा धनवान) कि एक काली दीनदार दासी उत्तम है दीन रहित सुन्दरी से। (इब्ने माजा किताबुनिकाह़)

वास्तव में लड़की लड़कों के जोड़ों के चयन करने में लड़की लड़के के घर वाले अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं इसका रिवाज बहुत बअ़्द में विशेष कर उप महाद्वीप (भारत, पाक, बंगाल देश आदि) में हिन्दू भाइयों की संगत से हुआ और इसी के साथ सगाई, महूरत (वक्ते सअ़द) आदि का चलन आया। हिन्दू भाइयों के यहाँ आज भी पंडित से महूरत निकलवा ही कर विवाह होता है। हमारे बहुत से मुस्लिम भाइयों ने भी इस कार्य को अपनाया और पंडित को बुलाने के बजाए मौलवी जी को बुला कर या स्वयं ही अपने ख़याल से जंत्री की सहायता से, नह़स से बच कर सअ़द (शुभ) दिन तारीख़ रखने लगे आगे चल कर सअ़द व नह़स को त्यागा तो अपनी सुहूलत का लिहाज़ किया परन्तु तारीख रखने की प्रथा चालित रही यही मंगनी है जिसने अब वलीमे (निकाह़ भोज) का रूप धार लिया है।

निकाह़ का वास्तविक रूप क्या था? सुनये : ह़ज़रत अ़ली (रज़ि0) स्वयं शर्माते हुए हुज़ूर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से ह़ज़रत फ़ातिमा की मांग करते हैं और कुछ सुवाल व जवाब के पश्चात रिश्ता तै हो जाता है, न नाई न्योता ले जाता है न कार्ड लिखा जाता है दो चार मुहाजिरीन व अन्सार बुलाए जाते हैं और निकाह़ करके शाम को एक शिष्ट स्त्री उम्मे ऐमन के संग दोनों जहाँ के बादशाह की बेटी बिदा कर दी जाती हैं। ज़रा पता लगाइये ह़ज़रत अबू बक्र ने अपनी लाडली आ़इशा का निकाह़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से किस तरह किया? आप अह़ादीस की किताबों में सह़ाब–ए–किराम के निकाह़ के वाक़िआ़त ढून्ढ निकालिये, जब लड़का जवान हुआ, उसको जीवन साथी की आवश्यकता हुई उसने किसी युवती के बाप या उसके वली (अभिभावक) से लड़की की मांग कर ली, लड़की के वली को, पैग़ाम देने वाला (मांग करने वाला) ठीक लगा तो उसने स्वीकृत दे दी निकाह़ हो गया, रुख़सती हो गई। सरलता के साथ वलीमा हो गया। कभी ऐसा भी हुआ कि लड़की या लड़की के घर वालों ने लड़के को पैग़ाम कहलाया और दोनों ओर की रज़ामन्दी से निकाह़ हो गया।

एक बात यहाँ वर्णनीय है कि सह़ाबा (रज़ि0) में नाबालिग़ लड़की के निकाह़ के उदाहरण तो बहुत से मिल जाएंगे परन्तु नाबालिग़ लड़कों के निकाह़ प्रथम काल में ढून्ढे से भी न मिलेंगे। यह बाल विवाह की प्रथा भारत ही की है या उप महाद्वीप की। यही नहीं कि बाप अपने लड़के की शादी करता बल्कि बरसों बाप ही अपने बेटे की बीवी बच्चों के ख़र्चों का ज़िम्मेदार रहता है। एक प्रकार से यह बड़ा ऐब है। इसी लिये यहाँ लड़की के मुक़ाबले में लड़का बोला जाता है वरना लड़का तो कम आयु वाले का अर्थ रखता है।

हमारे यहाँ के क़ानून में भी यह झोल है कि लड़का बालिग़ हो जाए अर्थात क़ानूनी आयु 18 वर्ष का हो जाए तो शादी कर सकता है। इस्लाम ने तो नाकेह़ (जो निकाह़ करे अर्थात जिस मर्द का निकाह़ हो) पर पत्नी का रोटी कपड़ा (नान व नफ़्क़ा) अनिवार्य किया है। अतः

चाहिये कि जब लड़का बालिग़ भी हो जाए और अपनी बीवी का ख़र्च भी उठा सके तब शादी हो।

हमारे समाज में यह प्रथा भी बड़ी ख़राब चल पड़ी है कि बाप अपने बेटे की बीवी फिर उसके बच्चों के खाने, कपड़े और घर का ज़िम्मेदार होता है। यह सत्य है कि हमारे यहाँ अधिक लोग किसान हैं या व्यापारी या उद्योगी जिस में घर के सभी लोग लगे रहते हैं, आय सम्मिलित होती है, नौकरी या मज़दूरी करके निजी आय करने वाले कम हैं। सम्मिलित आय में बाप या घर का बड़ा आय का मालिक रहता है। ऐसे में चाहिये कि जो लड़का बालिग़ हो जाए घर मालिक आय के अनुसार उस का वेतन नियुक्त कर दे ताकि वह शादी करे तो अपनी पत्नी का खर्च संभाल सके। बड़ी समस्या दीहात के किसानों की होती है, खेत में जो अनाज पैदा होता है इकट्ठा रखा जाता है उसी में से पूरे घरका खाना पकता और खाया जाता है। एक किसान इसको बड़ा ऐब मानता है कि बहू आए तो वह अलग हो जाए और उसका ख़र्च उसका पति संभाले हालांकि यह ऐब की बात न थी, फिर भी इस मुशतरक ख़ान्दान (सम्मिलित कुल) में कोई भी बहू ख़ुश नहीं देखी गई सिवाए इसके कि वह उस ख़ान्दान में अकेली हो फिर भी दीहात के किसानों में यह प्रथा चली आ रही है। परन्तु चाहिये यही कि जब लड़का बालिग़ हो जाए (इस्लामी शरीअत में बुलूग़ की आयु 15 वर्ष है।) और वह कमाने लगे या वह इतने धन आय का मालिक हो कि अपनी पत्नी के रोटी कपड़े का ख़र्च उठा सके तथा उसके रहने के कमरे या घर का प्रबन्ध कर सके तब ही वह शादी करे। अगर माँ, बाप धनवान हों और अपने बेटे और उसकी पत्नी का ख़र्च उठा सकते हों तो इस में कोई बाधा नहीं कि वह ऐसा करें परन्तु बहू का ऊपरी ख़र्च बेटे द्वारा उपलब्ध कराएं कि इस में बेटे का भी सम्मान है तथा बहू का भी।

कुछ लोग कहते हैं कि इस आधुनिक युग में जो लड़के लड़की प्रेम विवाह (Love Marriage) करते हैं यह इस्लाम के अनुकूल है वह बड़ी भूल में हैं, इस्लाम में निकाह से पहले भेंट वाला प्रेम दन्डनीय है। परन्तु ऐसे दो प्रेमी जिन में परस्पर निकाह वैध है देर किये बिना निकाह हो जाना आवश्यक है।

दिन रखना

पस चाहिये कि जब लड़का लड़की बालिग़ हो जाएं और लड़का अपनी पत्नी का भार संभाल सके तो किसी शिष्ट लड़की को उसके अभिभावक द्वारा पैग़ाम दे। लड़की की शिष्टता या उसका रंग रूप अपनी माँ बहन आदि द्वारा ज्ञात करे, लड़की वाले भी लड़के की शिष्टता तथा उसकी कमाई के विषय में पता लगा कर सन्तुष्ट हो लें जब दोनों ओर के लोग सहमत (मुत्तफ़िक़) हो जाएं तो परस्पर मिलकर निकाह की तिथि, दिन, समय, स्थान का निर्धारण करें। इतने से काम के लिये सम्बन्धियों तथा मित्रों की भीड़ एकत्र करना और भोज का प्रबन्ध करना तथा लेन देन करना सहज इस्लामिक सभ्यता को कठिन बनाना तथा इस्लामिक समाज को दूषित बनाना है जो बड़ा पाप है।

निकाह

निर्धारित समय पर कुछ दोस्त, अहबाब, सम्बन्धियों पड़ोसियों को बुला लें, लड़की पर्दे में रहे, लड़की का अभिभावक या उस का वकील लड़की को लड़के का परिचय देकर तथा महर बता कर निकाह कर देने की अनुमति मांगे, एक प्रकार से यह भी बड़ा विकार है चाहिये कि लड़की का अभिभावक परस्पर सहमत के पश्चात ही लड़की से लिखित अथवा मौखिक अनुमत ले ले। लड़की पढ़ी है तो उसको लिख कर सूचित करें कि तुम्हारा निकाह फुलाँ पुत्र फुलाँ से इतने महर पर किया जा रहा है तुम अनुमत के हस्ताक्षर कर दो। यह बड़े ऐब की बात है कि कुछ ना

महरम मर्द औरतों के घेरे में बैठी लड़की से अनुमत लेने जाते हैं। बहर हाल अनुमत निकाह के समय नहीं पहले ही से अभिभावक (वली) द्वारा उचित है।

अच्छा तो यही है कि स्वयं वली, नाकेह (दूल्हा) तथा दूसरे लोगों के सामने निकाह का ख़ुत्बा पढ़े, फिर सब के सामने ईजाब व क़बूल इस प्रकार कराए।

मैं फुलाँ (लड़की का नाम ले) जिसका मैं शरअ़ी वली हूं को इतने (महर बताए) महर पर तुम्हारे निकाह में दिया, क्या तुमने क़बूल किया? (यह ईजाब हुआ) नाकेह (दूल्हा) कहे : क़बूल किया। (यह क़बूल हुआ) बस निकाह हो गया। मुस्तहब है कि बरकत की दुआ की जाए अगर वली ईजाब व कबूल कराने की योग्यता (सलाहियत) नहीं रखता या किसी आ़लिम बुज़ूर्ग से ईजाब व कबूल करवाना चाहता है तो उसे वकील बना दे। ईजाब व क़बूल के वक़्त चन्द मुसलमानों का मौजूद होना सुन्नत है और कम से कम दो आ़क़िल, बालिग़ मुसलमान मर्द या एक आ़क़िल, बालिग़ मुसलमान मर्द और दो आ़क़िल बालिग़ मुसलमान औरतों का बतौरे गवाह मौजूद होना फ़र्ज़ है।

हनफ़ी उलमा के निकट बालिग़ औरत की इजाज़त से निक़ाह पढ़ा दिया जाए तो निकाह हो जाएगा परन्तु दूसरे आ़लिमों के निकट एक हदीस के आधार पर वली की अनुमति के बिना निकाह नहीं हो सकता अतः वली की अनुमति ज़रूर ली जाए और वली स्वयं लड़की को सूचित करके अनुमति ले ले। ताकि सभी उलमा के निकट निकाह सहीह हो। बालिग़ लड़की यदि नकार दे तो केवल वली की अनुमति से निकाह नहीं हो सकती। यहाँ यह बात याद रहे कि बालिग़ लड़की और उसके वली की अनुमति अनिवार्य है परन्तु बालिग़ लड़के के माँ बाप की अनुमति की आवश्यकता नहीं, अलबत्ता यह बात अच्छी है कि बालिग़ लड़का अपने माँ बाप की मर्ज़ी का ख़याल रखे। यह न भूलना चाहिये कि हनफ़ी मस्लक में बालिग़ लड़की के निकाह में वली की अनुमति अनिवार्य नहीं है।

महर दोनों प्रकार का वैध है चाहे तुरन्त देय हो अथवा उधार हो। तुरन्त देय वाला महर पत्नी के भेंट से पूर्व या भेंट पर अदा होना अनिवार्य है सिवा इसके कि पत्नी मोहलत दे दे। बिना महर के निकाह नहीं होता ख़ूब याद रखें। परन्तु महर उतना ही होना चाहिये जिसे पति अदा कर सके। यह जो प्रसिद्ध है कि महर तलाक़ के समय दिया जाता है यह बिल्कुल ग़लत है महर पत्नी का हक़ है, अदा नहीं हुआ तो पति, पर क़र्ज़ रहा, तलाक़ के समय तक अदा नहीं हुआ तो तलाक़ हो जाने पर इसकी अदायगी अनिवार्य हुई वरना यह कर्ज क़ियामत में अदा करना होगा।

रुख़सती के दूसरे या तीसरे दिन वलीमा सुन्नत है। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ बड़े धनवान सहाबी गुज़रे हैं उन्होंने निकाह किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से न निकाह पढ़वाया ना ही आपको सूचित किया परन्तु जब आपको पता चला कि अ़ब्दुर्रहमान ने निकाह कर लिया है तो यह नहीं फ़रमाया कि मुझे क्यों नहीं बताया अलबत्ता यह कहा कि वलीमा करो चाहे एक बकरी ज़ब्ह करके ही क्यों न हो।

संक्षेप्त : जब बालिग़ लड़का और बालिग़ लड़की स्वयं प्रत्यक्ष अथवा अपने माता, पिता, बहन, भाई अथवा किसी निकटस्थ सम्बन्धी द्वारा एक दूसरे को पसन्द कर लें, तो करीबी सम्बन्धी कुछ लोगों की एक मजालिस बुला ले जैसा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा के निकाह में किया था, लड़की का वली पहले ही से लड़की की रज़ा मन्दी जान रखे, फिर वह स्वयं निकाह पढ़ा सकता है तो ख़ुद पढ़ाए वरना किसी को अनुमति देकर अपना वक़ील बना दे। निकाह पढ़ाने वाला मस्नून ख़ुत्बा पढ़े फिर; उस मुसलमानों की मजालिस में लड़के को सम्बोधित कर के कहे कि फ़ुलाँ

पुत्री फ़ुलाँ को मैंने इतने महर पर तुम्हारे निकाह में दिया, तुम ने कबूल किया? लड़का कहे मैं ने क़बूल किया, बस निकाह हो गया, बरकत की दुआ करें लड़की रुख़्सत कर दें लड़का अपनी पत्नी से सहवास के पश्चात अपनी सरलतानुसार दूसरे या तीसरे दिन वलीमा (निकाह भोज) कर दे अर्थात अपने सम्बन्धियों को खाना खिला दे। बस यह है इस्लामी विवाह। लेकिन हमने अपने आप उसकी सूरत बिगाड़ ली, आप ध्यान दें इस्लामी विवाह में क्या क्या अनिवार्य है –

1. आक़िल बालिग़ लड़के, लड़की (जिन में निकाह बैध हो) रज़ामन्दी।

2. लड़की बालिग़ हो या ना बालिग़ उसके वली की रज़ामन्दी बालिग़ लड़की के लिये अहनाफ़ का यहां वली की रज़ा मन्दी ज़रूरी नहीं।

3. कम से कम दो आक़िल बालिग़ मुसलमानों या एक आक़िल बालिग़ मुस्लिम मर्द और दो आक़िल बालिग़ मुस्लिम औरतों के सामने ईजाब व क़बूल। (गवाहों के बिना ईजाब व क़बूल सहीह नहीं है)

4. महर भी अनिवार्य है बे महर निकाह न होगा/ 31 ग्राम चांदी से कम न हो।

ख़ुत्बा पढ़ा जाना सुन्नत है न पढ़ा जाए तो निकाह प्रभावित न होगा, वलीमा महत्वपूर्ण सुन्नत है परन्तु यह भी निकाह को प्रभावित न करेगा।

अब ज़रा जायद बातों और लग़वीयात पर ध्यान दे लें।

1. मंगनी में लड़की वाले के घर लोगों का इकट्ठा होना और उनके लिये खाने का इन्तिज़ाम करना, लड़की वाले का लड़के वालों को रक़म पेश करना इन सब बातों का इस्लामी विवाह से दूर का भी सम्बन्ध नहीं, मुसलमानों को चाहिये कि इन्हें तर्क करें, आसान को मुशकिल न बनाएं, अपने ग़रीब भाईयों को शर्मिन्दा न करें। अगर दो चार सम्बन्धी इन्तिज़ामी सुहूलत (व्यवस्थियक सरलता) के पेशे नजर मिल बैठ कर उचित दिन, तीथ, समय, सथान नियुक्त कर लें और कुछ चाय पानी कर लें तो कोई हरज भी नहीं अपितु कभी यह ज़रूरी भी हो जाता है।

2. यह लड़के और लड़की के तेल, उबटन और अटहर नाई, नाइन से लगवाना व्यर्थ बात है, अवैध है इस्लामी विवाह से इस का दूर से भी तअल्लुक नहीं। अगर लड़का या लड़की या उन के घर वाले दूल्हा, दुल्हन के मुक़ाबले की तय्यारी के लिये इस की आवश्यकता समझते हैं तो ख़ुद से कर लें, अपितु कुछ पौष्टिक पदार्थ खिलाना हो तो इस्लाम उससे नहीं रोकता परन्तु इन को निकाह का अंग बनाना और निकाह के साथ इस प्रथा को चलाना इस्लामिक विधान में हस्तक्षेप करना है।

3. निकाह से पहले नाकेह (दूल्हा) को नहलाने, और जामा जोड़ा, सेहरा, ताज आदि पहनाना इन सब का इस्लामी निकाह से कोई सम्बन्ध नहीं, अपितु बालिग़ लड़के को किसी मजबूरी के बिना कोई दूसरा नहलाए इस्लाम में यह ख़ुद ही बुरा है, बालिग़ लड़के को औरतों, मर्दो के घेरे में नहलाना तो हराम (अवैध) ही है। कोई नहा कर कपड़े बदलना चाहता है तो इसे कौन रोकता है, आड़ में ख़ुद ही नहा ले कपड़े बदल ले, लेकिन फ़ुज़ूल रस्मीयात (प्रथाओं) का विरोध आवश्यक है ताकि इस्लामी विवाह का शुद्ध रूप सुरक्षित रहे।

4. भरे मजमेअ में माली सेहरा पेश कर के इनआम माँगे, दरज़ी कपड़े बदलवा कर नेग माँगे आख़िर इस नुक्कड़ नाटक का इस्लामी निकाह से क्या तअल्लुक़? किस सहाबी के निकाह में सेहरा मुहय्या किया गया था? क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को निकाह से पहले मजमेअ में जोड़ा पहनाया गया था? दरज़ी ने कपड़ा सिला उसकी सिलाई उसकी दूकान उस के घर दीजिये मजमेअ में अदा करने की क्या ज़रूरत फिर इस को निकाह का अंग बनाना सरल दीन को कठिन बनाना है।

विवाहों में सब से घृणित प्रथा भारी जहेज़ की मांग तथा उस का दिखावा है, जिस ने कितनी शिक्षित तथा

शेष पृष्ठ 36

? आपके प्रश्नों के उत्तर ?

-मुफ्ती मुहम्मद जफर आलम नदवी

प्रश्न : पहचान पत्र पर फोटू होता है अगर वह जेब में हो और नमाज़ पढ़ ली जाए तो नमाज़ हो जाएगी या नहीं?

उत्तर : पहचान पत्र जेब में रख कर नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ बिला कराहत दुरुस्त होगी। इस लिये कि इस सूरत में तस्वीर छुपी रहती है। फुक़हा (इस्लामिक विधानाचार्य) ने स्पष्ट किया है कि तस्वीर अगर किसी चीज़ से छुपी हो तो नमाज़ बिला कराहत दुरुस्त होगी।

(रद्दुल मुहतार 2: 417,418)

प्रश्न : कभी-कभी नमाज़ अदा करने के लिये ट्रेन में कोई चीज़ बिछाने की नहीं होती है अगर अख़बार बिछा दिया जाए जिस में तस्वीरें (जानदारों के फोटू) भी हों तो उस पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त होगा या नहीं?

उत्तर : अख़बार के ऊपर जाए नमाज़ या कोई कपड़ा बिछा देने से जिसकी वजह से तस्वीरें ढक जाएं उस पर नमाज़ पढ़ने से बिला कराहत नमाज़ हो जाएगी (दुर्रुल मुहतार अला रद्दुल मुख़्तार 2 : 416) लेकिन अगर तस्वीरों वाले अख़बार पर तस्वीरें ढके बिना नमाज़ पढ़ी गई तो नमाज़ मकरुह होगी।

प्रश्न : अगर ज़मीन में नमी हो तो उस पर नमाज़ हो जाएगी या नहीं? कुछ लोग तफरीह के लिये पार्क गये, मग़रिब का वक्त हो गया, पानी डालने की वजह से ज़मीन में नमी थी उसपर लोगों ने नमाज़ अदा करली नमाज़ हो गई या नहीं?

उत्तर : नमाज़ दुरुस्त होने के लिये जगह का पाक होना शर्त है, अगर जगह पाक होने का यक़ीन हो और उस पर नमाज़ अदा कर ली गई तो नमाज़ हो जाएगी। पानी पड़ जाने से जो नमी हो उससे जगह नापाक नहीं होती है।

(रद्दुलमुहतार 2 : 73,74)

प्रश्न : मसजिद के किनारे कुछ क़ब्रें है जो दीवारों से घेर दी गई हैं भीड़ की वजह से कुछ लोगों को क़ब्रों से मुत्तसिल नमाज़ पढ़नी पड़ती है जब कि सामने क़ब्रें होती हैं अगरचि घिरी हुई हैं ऐसी सूरत में नमाज़ में कराहत तो न होगी?

उत्तर : जगह की तंगी और मजबूरी की सूरत में दीवार के आड़ में क़ब्र सामने होने पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। क़ब्र सामने होने पर उस वक्त नमाज़ पढ़ना रोका गया है जब क़ब्र और नमाज़ी के बीच कोई रोक न हो। पूछी गई सूरत में क़ब्र और नमाज़ी के बीच दीवार है इस लिये नमाज़ हो जाएगी।

(फ़तावा हिन्दीया 5 : 319,320)

प्रश्न : एक शख़्स की जेब में एक शीशी थी जिसमें पेशाब था, टेस्ट कराने जा रहा था, नमाज़ का वक्त आ गया और उसने भूल से जेब में शीशी होने की हालत में नमाज़ पढ़ ली शीशी बिल्कुल बन्द थी। प्रश्न है कि नमाज़ हो गई या नहीं? या लौटाना ज़रूरी है?

उत्तर : जेब में जब शीशी के अन्दर पैशाब हो चाहे शीशी बन्द हो उस के साथ नमाज़ न होगी इस लिये पूछी गइ सूरत में नमाज़ नहीं हुई उसका लौटाना ज़रूरी है, फ़ुक़हा ने लिखा है कि नजासत अगर अपने निकलने की जगह से अलग हो चाहे वह किसी चीज़ में बन्द हो नमाज़ में रोक बनेगी अल्लामा इब्नि आबिदीन शामी ने नमाज़ की शर्तों में लिखा है कि अगर नमाज़ी नजासत लिये हो तो नमाज़ नहीं होगी।

(दुर्रुल मुख़्तार मअ़े रद्दुमुहतार 1 : 273)

प्रश्न : मैं एक मदरसा चलाता हूं, 50 रुपये फ़ी तालिब इल्म फ़ीस लेता हूं, फ़ीस और कुछ चन्दे से मुदर्रिसीन की नामीनल तन्ख़्वाह अदा करता हूं। मदरसे में जून में गर्मियों की छुट्टी रहती है कुछ लोगों का कहना है कि छुट्टी की फ़ीस लेना जाइज़ नहीं है, क्या यह सहीह है?

उत्तर : बच्चों से जो फीस आप लेते हैं मैं समझता हूं कि उजरत समझ कर न लेते होगें अकसर मदरसे वाले बतौर तआवुन के फ़ीस

लेते हैं। यह गर्मियों की छुट्टी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिये होती है जब की मुदर्रिसीन उस छुट्टी की तन्ख्वाह पाते हैं, लिहाज़ा छुट्टियों की फ़ीस लेना नाजाइज़ नहीं है। छुट्टियों की तन्ख़्वाह जिस ज़ाबिते से जाइज़ है उसी ज़ाबिते से छुट्टियों की फ़ीस भी जाइज़ है।

प्रश्न : क्या यह सहीह है कि अयोध्या में पैग़म्बर नूह अलैहिस्सलाम और पैग़म्बर शीस अलैहिस्सलाम की क़बरें हैं?

उत्तर : किसी किताब में यह नहीं मिल रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की क़ब्र कहाँ है अलबत्ता तूफ़ाने नूह ख़त्म हुआ तो उनकी कश्ती जोदी पहाड़ पर लगी थी जेसा कि क़ुर्आन मजीद ने बताया "वस्तवत् अलल्जूदिय्यि" कुछ लोगों ने उड़ाया कि जोदी अर्थात आयेध्या यह तो महज़ गप है, जोदी पहाड़ तो तुर्क व ईरान की सरहद पर है। शीस अलैहिस्सलाम का इन्तिक़ाल कहाँ हुआ कुछ नहीं मिलता, अय्युब अलैहिस्सलाम बाबुल के इलाक़े में थे उनकी तदफ़ीन अयोध्या में होना बहुत ही दूर की बात लगती है। फिर अयोध्या में तो इस्लाम बारहवीं सदी ईसवीं में पहुंचा जब कि पैग़म्बर शीश (अ0) का ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लाखों साल पहले का हो सकता है। इसी तरह नूह (अ0) से कई हज़ार साल पहले का हो सकता, अय्युब (अ0) का ज़माना भी बहुत पहले का है। हिन्दोस्तान में इस्लाम बारहवीं सदी ईसवीं में आया तो अयोध्या में पहुंचे मुसलमानों को किस ने ख़बर दी कि यहाँ इन इन पैग़म्बरों की क़बरें हैं फिर अयोध्या के हिन्दू हज़रात ने कैसे समझा कि इन क़ब्रों का तअल्लुक़ मुसलमानों से है हम से नहीं है और उन्हों ने वह क़बरें मुसलमानों के हवाले कर दीं। इस तजज़िये से यही लगता है कि वह क़बरें उक्त (मज़कूर) अंबिया (अ0) की हरगिज़ नहीं हैं, फिर वह क़बरें किस की हैं? इस सिल्सिले में कोई मुअतबर बात कहीं से नहीं मिल रही है अलबत्ता दुर्गा प्रसाद रईसे सन्दीला की किताब "तारीख़े अयोध्या" पृष्ठ 23,24 पर दर्ज है कि मिस्टर बी कारनेगी साहिब बहादुर डिप्टी कमिशनर फ़ैज़ाबाद अपनी तारिख़े फ़ैज़ा बाद में तहरीर फ़रमाते हैं कि अय्युब व शीस की कबरें एक दूसरे से मुत्तसिल हैं मगर नूह की क़ब्र फासिले पर है, शायद यह चार सौ बरस से ज़ियादा पुरानी न हो। और यह तीनों शख़्स नूह, अय्युब शीस (अ0) हिन्दुओं के मुक़ाबले पर मारे गये इस वजह से शहीद कहे जाते हैं, मगर जो शख़्स यहाँ कब्रों पर (ब हैसीयत मुजाविर) मुकर्रर है ब ख़याल इसके कि जुहला की निगाहों में क़द्र हो बयान करता है कि नूह और अय्युब और शीस पैगम्बरों की कबरें हैं। इस अंग्रेज का बयान कुछ ठीक लगता है लिहाज़ा इन क़ब्रों को शुहदा की क़बरे समझना चाहिये। वल्लाहु अअ्लम बिस्सवाब

❑❑

नवाबी अवध ....

नादान महल का मकबरा इन्हीं बुजुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है।

मच्छी भवन

शेख अब्दुर्रहीम ने टीला शाह पीर मुहम्मद के पास ही एक अन्य टीले पर एक छोटा सा किला बनाया। इस किले में 26 दर थे और हर दर पर दो–दो खूबसूरत मछलियों का जोड़ा बना था इसी कारण इस किले का नाम मच्छी भवन प्रसिद्ध हो गया था। इस किले का बनाने वाला लखन नाम का एक अहीर था। **प्रोफेसर नूरुल हसन हाशिमी** के अनुमान के अनुसार शब्द 'लखन' और शब्द 'मऊ' जोड़ कर इसका नाम लखनामऊ पड़ा होगा। (मऊ नाम के साथ कई कस्बे व मोहल्ले मौजूद है जैसे– जियामऊ, बालामऊ, असियामऊ, मऊ तथा मऊनाथ भंजन आदि) और बाद में कहने में आसानी के लिये लखनामऊ से लखनऊ हो गया हो। प्रोफेसर हाशिमी के तर्क में काफी बल है।

मच्छी भवन का नाम अब केवल किताबों में ही ज़िन्दा है क्योंकि जिस स्थान पर मच्छी भवन स्थित था वहाँ पर लखनऊ मेडिकल कालेज का प्रशासनिक खण्ड (Administrative Block) अब स्थित है। मच्छी भवन की मछलियों से जुड़ी हुई एक रोचक बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय चिन्हों में बनी मछलियों का जोड़ा मच्छी भवन की ही मच्छलियाँ हैं।

❑❑

सतसंग अपनायें

-मौ0 निसार अहमद हसीरूलक़ासमी / अनुवाद - तसनीम फ़ातिमा

नेकी और भलाई ऐसी नेअमत है जो ईमान वालों की हर मुश्किल को आसान बना देती है और हर परेशानी व तंगी को आराम व राहत में बदल देती है, उखूवत व भाई चारगी के हौसले को बढ़ाती है, अच्छी दोस्ती इन्सान के अन्दर नई रौशनी पैदा करती है, इसकी खुशी को दोबाला करके इसके गमों को हल्का करती, अकल व दानिश के दरवाजे को खोलती रूह में ताजगी पैदा करती, खूबियों के माद्दे को सान्त्वना पहुंचाती, खैरख्वाही व गमख्वारी करती, इसके दर्द को हल्का करतीं और इसकी गल्तियों का मदावा करती हैं, फिर वह इन्सानियत का नमूना बन कर उभरता है जिसकी निशांनदिही करते हुए नबी करीम (सल्ल0) ने इर्शाद फरमाया है :–

"कि आपस में मोहब्बत व हमदर्दी करने, रहम व करम का मुआमला करने और शफकत व मेहरबानी करने में मोमिन की मिसाल जिस्म वाहिद जैसी है कि जिस के किसी एक हिस्से को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो बे ख्वाबी व तपिश में पूरा जिस्म इसके लिए तड़प उठता है," बअज सलफ से कहते हुए सुना गया कि "अल्लाह की कसम जब मैं अपने किसी मुसलमान भाई को एक लुक्मा खिलाता हूं तो उस खाने की लज्जत अपने हल्क में महसूस करता हूं" नेकी, सज्जनता, और अच्छे विचार या भलाई करने का माद्दा हर कस व नाकस के अन्दर नहीं पाया जाता। वल्कि यह चीजें अच्छी तरबियत से प्राप्त होती हैं या प्राकृतिक होती है। नबी करीम (सल्ल0) से किसी सहाबी ने पूछा "कि सबसे प्रतिष्ठित सज्जन व्यक्ति कौन है?" तो आप (सल्ल0) ने जवाब में फरमाया–"जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो" पूछने वाले ने अर्ज किया मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, तो आप (सल्ल0) ने फरमाया–

यूसुफ नबीउल्ला बिन नबीउल्ला बिन खलीलउल्ला अर्थात सबसे प्रतिष्ठित यूसुफ (अ0) हैं जो खुद भी नबी है और वाल्दि भी नबी थे और दादा तो अल्लाह के खलील ही थे, पूछने वालों ने फिर अर्ज किया कि मैं इसके बारे में भी नहीं पूछ रहा हूं, तो आप (सल्ल0) ने फरमाया : तो क्या तुम अरब के बारे में पूछ रहे हो? जमान–ए–जाहिलियत में जो खूबी वाले थे, इस्लाम में भी वही अच्छे और खूबी वाले हैं, बशर्ते कि उसने दीन की समझ हासिल कर ली हो। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बल्कि हर एक की खूबियाँ, अच्छाइयाँ व आचरण, इरादे व हिम्मत अक्ल व दानिश और अंदाजे फिक्र अलग–अलग होते हैं। रिवायत में आता है कि नबी करीम (सल्ल0) ने फरमाया :–

"इल्म मोमिन का दोस्त है हिल्म व बुर्दबारी उस का वजीर है, अक्ल उसकी रहनुमा है, अमल उसकी कीमत और सरमाया है, नरमी उसका वालिद और शीरीं कलामी (मीठी वाणी) उसका भाई है और सब्र उसके लश्कर का सिपहसालार है।" हजरत सुफियान सौरी (रजि0) ने अपने शागिर्दों से सवाल किया : तुम्हें पता है नरमी क्या है? हमनशीनों ने अर्ज़ किया आप ही फरमा दें तो उन्होंने फरमाया : हर चीज़ मौका व महल से की जाये, सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी

बरतनी चाहिए और तलवार को उसकी जगह पर ही रंखा जाये, तलवार की जगह में तर व नमी पैदा करना और नमी की जगह पर तलवार रखना हानिकारक है, उखूवत व भाईचारगी से लगाव व मोहब्बत, कुशादः दिल और दिली सुकून मिलता है और वहशत और अजनबियत और नामानूसियत (अनभिसता) दूर होती है, ख़िल्लत मोहब्बत से ऊपर की चीज़ है, ख़िल्लत का वस्फ उन ही लोगों में पाया जाता है, जो अक्ल व दानिश में पूरे, इल्म में आगे और पूरी दानाई रखने वाले होते हैं। इसीलिए इसके अन्दर मोहब्बत व लगाव के साथ ज्यादा इल्म, ज्यादा अक्ल, ज्यादा हौसले और ज्यादा पुख्तगी की जरूरत होती है। यह चीजें हर मोहब्बत के अन्दर नहीं होती, बल्कि कहीं–कहीं पाई जाती है, इसीलिए हुक्मा ने कहा है कि तीन चीजें दुनिया के अजाएबात में से हैं, अन्का, जिबरील और सच्चा दोस्त। उन्होंने ये भी कहा है कि दोस्त की जुदाई, बचपन में माँ की वफात और मालदारी के बाद मुहताजी और फकर व इफलास की तरह है।

अल्लाह तआला का एक निश्चित निजाम है, वह हमेशा अपने पार्सा और परेहगार बन्दों के साथ होता है, बकर बिन अब्दुल्ला–अलमुज़नी से रिवायत है, वह फ़रमाते है कि जब इब्राहीम (अ0) को आग में डाला जाने लगा तो सारे संसार ने अल्लाह से इल्तिजा की और कहा कि ऐ! अल्लाह, ऐ! परवरदिगार! आप के सच्चे दोस्त को आग में डाला जा रहा है, आप इजाजत दें तो हम इस आग को बुझा दें, तो अल्लाह तआला ने फरमाया : बेशक वह मेरा सच्चा दोस्त है और पूरी ज़मीन पर इसके सिवा मेरा कोई सच्चा दोस्त दूसरा नहीं, में ही उसका रब हूं, मेरे सिवा कोई उसका रब व परवरदिगार नहीं, तो अगर इब्राहीम तुमसे मदद मांगें तो तुम जरूर उनकी मदद करना और अगर वह तुम्हारी मदद न मांगे तो तुम उसे छोड़ देना और उसमें हस्तक्षेप न करना, इसके बाद बारिश पर मामूर फरिश्ते आये और अल्लाह से इसी तरह इजाजत तलब की तो अल्लाह ने इन्हें भी यही जवाब दिया, फिर जब इन्हें आग में डाल दिया गया तो उन्होंने अपने रब को पुकारा और उन की पुकार सुनते ही सारे जहाँ की आग ठन्डी पड़ गई और पूरब से पश्चिम तक की सारी आगों के अन्दर यह सलाहियत नहीं रही कि वह जलायें या खाना पका सकें।

आज मुसलमानों की जो हालत है जिस तरह उनपर चारों ओर से चढ़ाई हो रही है, इसे देखकर महसूस होता ह कि उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं और जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है अल्लाह उसे बर्बाद नहीं होने देता, शर्त यह है कि हम दुनिया से लौ लगाने के बजाये खालिक से लौ लगायें, दूसरों को मदद के लिये पुकारने के बजाय अपने असल रब को पुकारें, इस वक्त हमारी हिफाजत करने वाला और हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज तकवा और अल्लाह से डरना है। हम उसका कुर्ब हासिल करने की फिक्र करें उसके नेक बन्दों और स्वालेहीन की संगत अपनायें, इन्हीं से दोस्ती और लगाव रखें।

आज की जिन्दगी, रियाकारी, धोखादिही, दरोगगोई और हरामखोरी से भरी है, हर तरह की बुराईयाँ क्षाई हैं, अवाम के साथ–साथ खवास और स्टेज पर लम्बी नसीहत देने वालों और उम्मत के मश्वरे देने वालों के घरों में भी लहू लअिब के सारे–सारे सामान मौजूद हैं, ऐसे में क्या मुसलमानों का मुहाफिज इसके सिवा कुछ और हो सकता है कि हम अच्छों का साथ अपनायें, चाहे वह गरीब हों और दुनियादारों से दूरी रखें चाहे वह किसी भी जहाँ में हों।

❑❑

समाज सुधार

सैलानी की डायरी

एम0 हसन अंसारी

दो घंटे इन्टीग्रल यूनीवर्सिटी, लखनऊ के परिसर में :—

अप्रैल, 2009

आज उत्तर प्रदेश की एकमात्र अल्पसंख्यक यूनीवर्सिटी इन्टीग्रल यूनीवर्सिटी, जो लखनऊ में कुर्सी रोड पर स्पोर्ट्स कालेज से तीन कि0मी0 दूर दुसौली में स्थित है, जाना हुआ। यह एक अनौपचारकि विजिट थी, साथ में सैलानी के अनुज ए0एच0 अंसारी पूर्व विशेष सचिव (ग्रह) उत्तर प्रदेश शासन थे। हम जुह्र की नमाज़ के समय पहुंचे, यह हमारा सौभाग्य था। शुभारम्भ से लेकर अब तक इन्टीग्रल में यह मेरा तीसरी बार आगमन था। नवम्बर 1993 में इस का, इन्सीट्यूट आफ इन्टीग्रल टेकनोलाजी के नाम से, शिलान्यास विश्व विख्यात इस्लामी स्कालर, विचारक, लेखक और इतिहासकार तथा नदवा यूनीवर्सिटी के रेक्टर मौलाना अबुल हसन अली नदवी के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के ऐक्ट न0 9 (2004), 26 फरवरी 2004 के द्वारा यूनीवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसे स्वयं सेवी संस्था 'इस्लामिक कांडसिल फार प्रोडक्टिव एजूकेशन (आई0सी0पी0ई0) के तत्वाधान में कायम किया गया। और वही इसे संचालित करती है।

वाइस चांसलर प्रोफेसर एस0डब्लू0 अख्तर और प्रो वाइस चांलसर प्रोफेसर एस0एम0 इकबाल से मुलाकात के बाद हम कोई दो घंटे तक विश्वविद्यालय परिसर में रहे और परिसर के अन्दर विद्यार्थियों व स्टाफ के सदस्यों की गतिविधियों को बगौर, ध्यानपूर्वक देखते रहे; यहाँ की बड़े सलीकों के साथ लगाई गई वनस्पति तथा फूल पौधों का आनन्द लेते रहे समय का सदुपयोग करते हुए सब अपने अपने काम में व्यस्त, सब स्वतः अनुशासित, सद् आचरण के धारी, कोई बर्बादी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई गन्दगी नहीं, किसी प्रकार की कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं, किसी तरह का कोई फसाद नहीं, कोई व्यर्थ घूमता नजर नहीं आया, कोई फूल पत्ती तोड़ता न दिखा, कहीं किसी तरह की बेअदबी न देखी, जो लोगों को बद किस्मत बनाती है। वास्तुकला के लेहाज से सुन्छर व सुनियोजित निर्माण, फूल, पेड़—पौधे अति सुन्दर, आकर्षक और मनमोहक।

विश्वविद्यालय परिसर में दस संकाय, 24 विभाग कार्यरत हैं जो पूर्वस्नातक के सत्तरह (17) और उत्तरस्नातक के बाईस पाठ्यक्रमों में शिक्षा देने में लगे हैं।

इन्टीग्रल यूनीवर्सिटी का अनुकूल तथा स्वच्छ, स्वस्थ व सहायक वातावरण निश्चय ही उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रयास के लिये अत्तम व सर्वथा ग्राहय है। यह यहाँ के कार्य कर्त्ताओं की कड़ी मेहनत और निष्ठा व लगन का नतीजा है; इसके मुखिया (चांसलर) डा0 सईदुर्रहमान आज़मी के अनुभवी व विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन का प्रतिफल और मौलाना अलीमियाँ की दुआओं का असर।

निश्चय ही विजिट एक खुशगवार हैरत के साथ अत्यन्त आनन्ददायक रही।

उन्नति के शखर पर आगे और आगे ओ! इन्टिग्रल।

सादी शादी, कोई जहेज़ नहीं

12,13,14 अप्रैल 2009

इन तारीख़ों में सैलानी के दो बेटों की शादी थी। बारह तेरह में निकाह चौदह में वलीमा। शादी—ब्याह तो होते रहते हैं। फिर इसमें क्या विशेष बात रही जिसे यहाँ बयान करने की जरूरत पेश आई। जरूरत यूं पेश आई कि हमारा धर्म और ईमान है कि नेक और अच्छी बातों को फैलाया जाये, बुरी बातों को रोका जाये।

आज कल शादी—ब्याह में विशेषकर लड़की वालों के लिए न चाहते हुए भी बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ रहे हैं जिन की पीड़ा

लड़के वाले कम और लड़की वाले अधिक, महीनों तक सहन करने पर मजबूर होते हैं, यह सामान्य वस्तु स्थिति है। अपवाद हो सकते हैं। जोड़ा–घोड़ा, तामझाम, फरमाइश और मांग के झुरमुट में लड़की वाले की चिन्ताओं से हम सब वाकिफ़, पर करें क्या जो चीज चलन में आजाये उससे बच पाना आसान नहीं, सिक्का रायजुल वक्त की बात ही और है, और 'चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, (भले ही वह तुम्हें अभीष्ट मंजिल से दूर ले जा डाले) के विपरीत कुछ करना, दुनिया की निगाह में समझदारी नहीं। और शादी में इन गैर जरूरी चीजों की सूची तब और लम्बी हो जाती है जब लड़का कमासुक होने के साथ किसी ऊँचे पद पर आसीन हो और वेतन भोगी भी ऐसा कि सालाना पैकेज लाखों का हो। कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना सैलानी को करना पड़ा। विषय परिस्थिति।

सैलानी ने 'चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की' के विपरीत, लक्ष्य बिन्दु पर निगाह रख कर, चलने की ठानी। धैर्य से काम लिया। चर्चा कम से कम, काम ज्यादा। समधियानों का सहयोग मिला, बेटों ने साथ दिया, और साफ साफ तय पाया कि शादी सादी और कोई जहेज़ नहीं के साथ होगी। महर लड़कों की हैसियत के अनुसार। वलीमा दिल खोल कर। बाराती सीमित संख्या में। चिरागां व रौशनी पर खर्च कम से कम। बैंड–बाजा, तमाशा गोला से तौबः। चार पहिया गाड़ियां सिर्फ चार–पाँच जिन से काम चल जाये।

बारह अप्रैल को एक बेटे का निकाह तेरह को दूसरे का। दोनों बाद नमाज़ जुहर मस्जिद ही में। शीरीनी बंटी। खाना वक्त पर हुआ। वक्त से रुख्सती। शाम को घर। बाराती खुश जहेज का सामान लादने, उतारने और फिर नुमाईश के लिये सजाने से फुरसत।

वलीमा, जिसे बिरादरे वतन 'बहू भोज' अथवा 'प्रीति भोज' की संज्ञा अपने दावत नामों में देते हैं, दो हिस्सों में – तेरह की शाम को पाँच सौ लोगों के लिये वेज की व्यवस्था; चौदह को जुहराना नानवेज, एक हजार लोगें के लिये जिस में तमाम तअल्लुक वालों ने शिर्कत की। दूर–नजदीक कुल से लोग आये। हैद्राबाद, कोलकाता, मुम्बई तक के तअल्लुक वाले आये। विशिष्ट अतिथि (मेहमाने खुसूसी) हजरत मौलाना मो0 राबे हसनी नदवी, रेक्टर नदवा यूनीवर्सिटी, और अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनलाला बोर्ड, तथा संरक्षक इस्लामिक स्टडीज सेन्टर आक्सफोर्ड, लन्दन तशरीफ लाये और वलीमा में शिर्कत फरमाई। अल्लाह ने मदद की, सैलानी कामयाब हुआ। शादी सादी न कोई जहेज न कोई कर्ज। आफियत इसी में है। भूल–चूक सैलानी ने अपने सर ली। कामयाबी का सेहरा बेटों, घर वालों, नातेदार रिश्ते दारों और शुभ चिन्तकों के सर रहा।

चुनाव है, चुनने को कोई नहीं :–

23 अप्रैल 2009

आज पन्द्रहवीं लोक सभा के लिए अपने क्षेत्र 187– हसौली से सैलानी को अपनी पसन्द का सांसद चुनने का दिन है। प्रातः सात बजने को हैं। सैलानी मतदान संख्या 161 के बूथ पर लाइन में खड़ा है। उसके आगे छः मतदाता खड़े हैं। प्रथम पोलिंग अफसर के पास सैलानी के पहुंचने पद पर्ची की मांग की गयी। सैलानी ने कहा 'मेरे इस पहचान पत्र के पीछे सब कुछ दर्ज है, फिर पर्ची की क्या जरूरत बाकी रह जाती है। 100 या 200 मीटर दूर अपनी अपनी दुकान सजाये पार्टियों के कार्यकर्ताओं के पास पर्ची लेने जाने पर मतदाता की स्थिति असमंजस की सी बन जाती है और उसके वैमनस तथा भय का शिकार बनने की सम्भावना बनी रहती है, जो निष्पक्ष और निर्भय मतदान की प्रक्रिया को धूमिल कर सकती है, अतः पर्ची लेकर मतदान करने के लिये, पहचान पत्र धारक के लिए जरूरी नहीं है। इस पर पीठासीन अधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए सैलानी का मत डलवाने की प्रक्रिया में वांछित नियमित सहयोग दिया और वोट पड़ा। निर्वाचन आयेग को राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर पर्ची की आपा छापी को समास करना चाहिये। इससे मतदान की शुचिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। ❑❑

रिसालत व नबुव्वत

मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी

पिछले अंकों में इस्लामी अक़ाइद में से तौहिद और आखिरत पर संक्षेप में बात हो चुकी है आज तीसरे मौलिक अंकीदा रिसालत व नुबुव्वत पर बात होगी जिस पर हर मुसलमान को ईमान लाना जरूरी है। रिसालत का लफ़्ज़ी अर्थ है किसी बात या सन्देशे को दूसरे तक पहुंचाना और शरिअत में रिसालत उस मन्सब (पद) को कहते है जिस के द्वारा (जरीअ) अल्लाह तआला अपनी हिदायत (निर्देश) और अपने अहकाम (आदेश) बन्दों तक पहुंचाता है। इसी तरह नुबुव्त के लफजी मअ़ना खबर देना है, इसी से नबी निकला है, शरीअत में नुबुव्वत भी रिसालत की तरह वह मंसब है जिस के जरीअे गैब की खबरें बन्दों तक पहुंचती हैं और जिस जाते गिरामी को यह मंसब मिलता है उसे नबी कहते हैं रिसालत का काम अल्लाह तआला फिरिश्तों के ज़रीअे भी लेता है और बहुत अच्छे इन्सान से भी इन्सानों में जिस को वह नबी या रसूल बनाता है वह होते तो इन्सान ही हैं मगर वह अपने अख़लाक़ व किरदार में हर जमाने के इन्सानों से बेहतर होते हैं, और इस से बढ़ कर जो चीज़ उन को सबसे जियादा ऊंचा कर देती है वह है अल्लाह तआला की वह्य का उन पर उतरना, वह्य द्वारा इन्सानों की हिदायत के लिये अल्लाह तआला अपने अहकाम (आदेश) उतारता है। इन्सान चाहे किसी रंग, किसी नस्ल, और किसी देश का हो, अल्लाह तआला उन सबकी हिदायत चाहता है, इसी लिये उसने हर कौम और हर मुल्क में नबी और रसूल भेजे। फरमाया !

"व लि कुल्लि कौमिन हादिन" (अर्रअ़द) (और हर कौम के वास्ते हिदायत करने वाला आया है।)

अनुवाद! "और कोई कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिस में कोई डराने वाला न गुजरा हो।" (फातिर)

जिन मुअज्ज़ज़ और मुकर्रम (प्रतिष्ठित) हस्तियों को अल्लाह तआला नबी या रसूल चुनते हैं वह न सिर्फ अल्लाह की भेजी हुई हिदायत की तअ़लीम (शिक्षा) लोगों को देते हैं बल्कि वह उस पर अमल कर के लोगों को दिखा भी देते हैं।

कुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने फरमाया –

अनुवाद : "हम ने इन्सानों की इस्लाह के लिये अपने पैगम्बरों को खुले खुले अहकाम देकर भेजा और हम ने उनके साथ किताब को और इन्साफ करने के हुक्म को नाजिल किया ताकि लोग बीच की राह पर जमे रहें। (हदीद)

और फरमाया! तुम्हारे लिये रसूले खुदा के अन्दर बेहतरीन उस्वा है। (अहजाब) (जारी)

❑❑

इस्लाम में विवाह

शिष्ट युवतियों को बिना व्याही बिठा रखा है और कितनों को अग्नि अर्पित कर दिया है इस जहेज का इस्लाम से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है, क़ानून होते हुए भी यह प्रथा समाप्त नहीं हो रही है कम से कम इस्लामी समाज से इस विकार को दूर करने के लिये दीन्दार मुस्लिम यूवकों को मैदान में आना होगा और नैतिक विधि से न मानने पर क़ानून से सहायता लेकर इस कुप्रथा को मिटाना होगा। ग़रज़ कि मुसलमानों ने शादी विवाह में हिन्दू भाइयों की संगत से जो रस्में बढ़ा ली हैं उनको तर्क कर के हिन्दू भाइयों को भी दिखाना और बताना है कि इस्लामी विवाह क्या है और कितना सरल है।

दुल्हन रुख़सत हो कर जाती है वह इसके सिवा और कुछ नहीं कि अब वह अपने पति की पत्नी है, तथा सुसराल के कुल की एक मिम्बर है, बाकी उसके साथ विभिन्न प्रथाएं व्यर्थ हैं, छोड़ देने योग्य है।

निकाह के पश्चात सब से महत्वपूर्ण दोनों में प्रेम होना, एक दूसरे के हुकूक़ अदा करना और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बताए हुए तरीक़े से जीवन बिताना है।

याद रखें मुसलमान इस्लाम का अ़मली (कृयात्मक) मुबल्लिग़ है यदि उस ने इस्लामिक जीवन को शुद्ध न रखा तो अशुद्ध इस्लामिक जीवन की तब्लीग़ करने का पाप करेगा।

❑❑

वर्तमान आर्थिक संकट और इस्लामी बैंकिंग

– हबीबुल्लाह आज़मी

कुछ दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में आर्थिक संकट का मुद्दा छाया हुआ है। व्यापरिक मण्डी में छाई मंहगाई शेयर बाज़ार की बुरी दशा और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों की बदतरीन तबाही की खबरों से समाचार पत्र भरे हुए हैं और सभी संस्थाएं इस कठिनाई से उबरने की संभावनाओं की खोज में लगी हुई हैं।

आर्थिक शास्त्रियों ने पूरब से पश्चिम तक एक बहस छेड़दी है कि क्या यह संभव है कि इस्लामी आर्थिक व्यवस्था इस पूंजीवादी व्यवस्था का उचित स्थान ले सकती है? इस अन्तर्राष्ट्रीय मंहगाई और माली अव्यवस्था को दूर कर के व्यापरिक और माली संस्थाओं के दर्द की दवा बन सकती है? क्या इस्लामी अर्थ व्यवस्था उचित आर्थिक स्थिर्ता और हर व्यक्ति और कुटुम्ब के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनने की योग्यता रखती है?

इस्लामी अर्थ व्यवस्था और मौजूदा पूंजीवाद एक दूसरे के विपरीत है। चुनानचि सभी इस बात को जानते है कि इस्लामी शरीअत सूद की सख्ती से मुखालफत करती है जो तमाम कठिनाईयों को असली जड़ है जबकि वर्तमान पूंजी निवेष (सरमायाकारी), व्यापारिक केन्द्र और बैंक कारी की व्यवस्था इसी सूद पर निर्भर है और इसको लाभदायक करार देती है। इस्लामी आर्थिक व्यवस्था लाभ और हानि को बैंक और ग्राहक के बीच न्यायिक पूंजी बटवारे की दावत देती है।

इस समय पूरी दुनिया में इस्लामी बैंकों और माली संस्थाओं की संख्या चार सौ से अधिक हो चुकी है जो 75 देशों में क़ायम हैं जिन में एक अन्दाज़े के अनुसार 600 मिलयन डालर की पूंजी लगी हुई है। हर साल इसमें 70 से 95 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती रही है और पूरी आशा है कि यह पूंजी 2090 तक 2.4 खरब डालर तक पहुंच जाएगी।

इस माली कठिनाई के मद्देनज़र कुछ यूरोपीय देशों ने इस्लामी बैंक कारी के सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है जैसा कि फ्रांस में हुआ है कि वहां के वित्त मंत्री ''क्रिस्टन लाजर्ड'' ने स्पष्ट किय है कि बीती जुलाई के महीने में फ्रांस वित्त मंत्रालय (वजारते मालियात) की दावत पर कुछ ख़लीजी देशों के पूंजी निवेषों (सरमाया कारों) का एक प्रतिनिधि मण्डल (वफ़द) इस मीटिंग में फ्रांस आया था। फ्रांस के वित्त मंत्रालय ने आर्थिक व्यवस्था में कुछ सुधार और संशोधन का एलान किया था ताकि वह अपने देश में इस्लामी पूंजी निवेष का व्यवहारिक तजुरबा कर सकें। यह उनका लन्दन और पेरिस के बीच इस्लामी पूंजी निवेष के सिलसिले में मौजूद खाई को पाटने के उद्देश्य से बढ़ाया हुआ एक क़दम है।

फ्रांस के वित्त मंत्री क्रिस्टन लाजार्ड ऐसे पहले मंत्री हैं जिन्हों ने इस बात को स्वीकार किया है कि फ्रांस को इस्लामी पूंजी निवेष के महत्त्व की जानकारी कुछ देर से हुई है। उन्हों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस्लामी पूंजी निवेष का महत्व देखते हुए उस की व्यवस्था का सार्वजनिक (आम) करना अति अधिक लाभप्रद है।

इस के बाद फ्रांसीसी विशेषज्ञों को यह एहसास है कि वह इस्लामी माली व आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने में दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले में बहुत पीछे रह गये हैं। क्यों कि खास तौर से ब्रिटेन तो इस सिलसिले में यूरोपीय देशों से बहुत आगे बढ़ गया है।

फ्रांसीसी केन्दरी बैंक के प्रारम्भ के बाद फ्रांसीसी बैंक इस्लामी पूंजी निवेष को बड़े पैमाने पर उन्नति देने, उसे सार्वजनिक (आय) करने और उससे लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ उन को अरब और इस्लामी देशों पूंजी निवेष का सहयोग प्राप्त है। इस सिलसिले में उनकी नज़र फ्रांस में मौजूद छः मिलयन मुसलिम आबादी पर भी है।

इस्लामी दृष्टिकोण्ड़ से एक महत्त्वपूर्ण और सनसनी खेज़ ख़बर यह है कि फ्रांस केशहर स्टार्सबर्ग की एक यूनीवर्स्टी ने इस्लामी अर्थ शास्त्र में एक डिपलोमा कोर्स शुरु करने का फैसला किया है जो जल्द ही आगामी जनवरी से शुरु हो जाएग जो फ्रांस के इतिहास में पहली बार है। इस प्रमाण पत्र के प्राप्त करने वाले विद्यार्थी फ्रांस के बैंकिंग सिस्टम में प्रवेष के योग्य हो सकेंगे। वह किसी बैंक के अन्दर कैशियर, वकील या कानूनी सलाहकार के पद पर नियक्त हो सकेंगे या किसी माली संस्था की शरअी कमेटी (Legal super wising cammittee) के मेमबर बनने के योग्य हो जाएंगे या फिर वह किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी में मैनेजर के पद पर काम कर सकेंगे।

यूरोप के देशों ने इस्लामी पूंजी निवेष के लाभ को देखते हुए इस सिलसिले में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। जैसा कि ब्रिटेन में पाया जा रहा है कि लन्दन तो इस्लामी पूंजी निवेष की राजधानी बन चुका है, जहाँ सब से पहले इस्लामी बैंकिंग 2004 में स्थापित हुई थी। यह वही बैंक है जो British Islamic Bank के नाम से मशहूर है। चुनानचि लगभग पूरी दुनिया में अर्थशास्त्री इस्लामी पूंजी निवेष की व्यवस्था को मंजूरी दे रहे हैं ताकि वर्तमान आर्थिक मन्दी के कारण पेश आने वाली कठिनायों को दूर किया जा सके और पूरी दुनिया में व्यापारिक व आर्थिक शान्ति और संतोष कायम किया जा सके।

(महनामा हिदायत से गृहीत)

❑❑

अच्छा इन्सान

दयावान, परोपकारी, सदाचारी, करूण, विनम्र, सहनशील, त्यागी, क्षमाशील और धैर्यवान होता है।

अच्छा इन्सान वीर, साहसी, चुनौती प्रिय, निर्भीक, स्वाभिमानी, दृढ़ निश्चयी और कर्म प्रधान होता है।

अच्छा इन्सान जिज्ञासु, सहयोगी, संवेदनशील, न्यायप्रिय, ज़िम्मेदार, विवेकशील, तर्कशील और निर्णायक होता है।

अच्छा इन्सान कल्पना शील, रचनात्मक, सर्जनात्मक, वाकपटु, विश्लेषणात्मक, कर्तव्यनिष्ठ, आत्मविश्वासी और ईमानदार होता है। और कामयाब होता है।

(एम0 हसन अंसारी)

नबुव्वत अल्लाह की देन है

रसालत और नुबुव्वत के विषय में यह बात भी याद रखना जरुरी है कि नुबुव्वत चेष्ठा तथा प्रयास से प्राप्त नहीं की जा सकती यह अल्लाह तआला का विशेष पुरस्कार तथा उपहार है, वह जिस बन्दे को चाहता है, दे देता है कोई बड़े से बड़ा इन्सान यदि चाहे कि वह अपने प्रयास यह पद प्राप्त कर ले तो वह नहीं कर सकता। अल्लाह तआल फ़रमाता है

यह नुबुव्वत अल्लाह का इनआम है वह जिसे चाहता है देता है। (माइदा : 54)

दूसरी जगह फ़रमाया –

यह नुबुव्वत अल्लाह का फ़ज़्ल है वह जिस को चाहता है उस को इस से नवाज़ता है वह बड़े फ़ज़्ल वाला है। (आलिइम्रान : 74)

परन्तु अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पश्चात नुबुव्वत का दरवाज़ा बन्द हो चुका है।

❑❑

किस्त 12

हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण तथा अर्थ

— इदारा

नोट : बिन्दी वाले अक्षरों के उच्चारण स्थान, उर्दू वालों से सीखना आवश्यक है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
जिन्न	एक अदृश्य सृष्टि	जवाबदिही	उत्तरदायित्व	जिहाद	परिश्रम
जनाब	श्री	जवाबी कारवाई	प्रतिक्रया	जहाज(पानी)	जलयान
जनाबे आली	श्रीमान	जव्वाद	दानशील	जहाज(हवाई)	वायुयान
जनाबे वाला	महोदय	जवाज़	वैधता	जहालत	अज्ञानता
जनाज़ः	अर्थी	जवान लड़का	युवक	जहाँ	संसार
जुंबिश	गति	जवान लड़की	युवती	जहाँ पनाह	जगत शरण
जन्नत	इस्लामिक स्वर्ग	जवां मर्द	वीरवर	जहाँ गर्द	पर्यटक
जिन्स	प्रकार, योन	जवाहिर	रत्न	जहांगीर	चक्रवर्ती
जिंसी	योन सम्बन्धी	जूद	दान शीलता	जिहत	दिशा
जिंसियात	काम शस्त्र	जौर	अत्याचार	जुह्द	प्रयास
जंग	युद्ध	जोश	उल्लास	जहल	मूर्खता
जंगजू	लड़ाकू, योद्धा	जोशान्दा	काढ़ा	जहन्नम	इस्लामिक नरक
जंगल	वन	जोशीला	आजस्वी	जय्यिद	उत्तम
जुनूब	दक्षिण	जोशन	कवच	जैब	जेब
जुनून	उन्माद	जौफ़	पेट	जैश	सेना
जुनूनी	उन्मत्त	जूक	समूह	जूअ़	भूख
जनीन	भ्रूण	जौहर	रत्न	चाबुक	फुरतीला
जवाब	उत्तर	जौहरी	रत्निक	चाबुक	कोड़ा
जवाबुलजवाब	प्रति उत्तर	जोया	खोजी	चाबुक दस्त	कुशल
जवाब देह	उत्तरदायी	जिहाद	धर्म युद्ध	चाबुक दस्ती	कुशलता

पाठक जिस उर्दू शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे अर्थ सहित छापा जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

— डॉ0 मुइद अशरफ नदवी

नाटो सेना जाए तो तालिबान कर सकता है बात

काबुल। अफगानिस्तान में इस साल अगस्त कें होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में उतरने की योजना बना रहे व्यवसायी सैय्यद जलाल ने कहा कि यदि नाटो सेनाएं एक निश्चित समयावधि के भीतर अफगानिस्तान छोड़ कर जाने के लिए राजी हो जाएं तो इस्लामी संगठन तालिबान को शाँति वार्ता के लिए राजी किया जा सकता है। श्री जलाल ने कहा कि वह कूटनीति के जरिए देश में वापस शाँति स्थापित करेंगे। श्री जलाल ने कहा कि अफगानिस्तान को तीन से पाँच साल तक ही विदेशी फौजों की जरुरत है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमें खुद अपनी सेना तैयार करने में मदद दे सकता है।

तालिबान से पार पाना आसान नहीं : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने तालिबान को दुनिया की शाँति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उसने स्वीकार किया है कि इनसे पार पाना इतना आसान नहीं है जितना सब समझ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता राबर्ट ने प्रेस वार्ता में यह बात कही। वुड ने कहा कि तालिबान सिर्फ अमेरिका या कुछ देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन चैन के लिए गंभीर खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले सात साल से आतंकवाद के खिलाफ चल रही जंग के अनुभव से अमेरिका यह कह सकता है कि तालिबान कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है जिसे हराना आसान हो।

सोमालिया में भी शरीयत कानून

मोगगादिशू। सोमालिया की संसद ने इस्लामिक कानून को मंजूरी दे दी है। देश में इस्लामी शरअीया कानून लागू करने के सरकार के प्रस्ताव को 340 सांसदों की सोमालियाई संसद में सदस्यों ने एकमत होकर मंजूरी दे दी। संसद के उपसभापति उस्मान इल्मी बोगोर ने बताया कि संसद ने बिल को मंजूरी दे दी है। सोमालिया में अब इस्लामी सरकार है।

ओबामा ने शावेज से हाथ मिलाया

स्पेन। बुश प्रशासन की कई कट्टर नीतियों को पलट चुके राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अब एक नयी पहल करते हुए अमरीका के धुर विरोधी रहे वेनेजुएला के वामपंथी राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेटिन अमरीकी और कैरबियाई देशों का तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन शरू होन पर श्री ओबामा ने श्री शावेज के साथ हाथ मिलाया। वेनेजुएला सरकार द्वारा जारी तस्वीरों में दोनों नेताओं को हाथ मिलाते और मुस्कुराते दिखाया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति प्रेस कार्यालय के मुताबिक श्री शावेज ने अमरीकी राष्ट्रपति से कहा मैंने आठ वर्ष पहले राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अब मैं आपको दोस्त बनाना चाहता हूं।

❑❑

समाज सुधार : एक प्रबल चुनौती

यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में सुधार करना प्रारम्भ कर दे, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा समाज सुधर जाएगा। यदि समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा और अन्त में सम्पूर्ण विश्व सुधरेगा। ऐसे में "प्राणि मांत्र से प्रेम" सर्व सुखदायी मन्त्र है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिक्षा का उपयोग सही दिशा में करना होगा एवं ऐसे हर उस कार्य को त्यागना होगा जो समाज को दूषित करने में प्रेरक सिद्ध हो। तभी हमारा एक उज्जवल भविष्य के साथ 'समाज की कल्पना' करना सार्थक सिद्ध होगा।

❑❑